[2022] 12 एस. सी. आर 720

गुजरात राज्य

वी.

आर्केलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड

(सिविल अपील सं। 7710-7714 2021 का)

21 जनवरी, 2022

[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, जे. जे.]

गुजरात बिक्री कर अधिनियम, 1969: एस. 49 (2) , 45 - से छूट

बिक्री कर का भुगतान-ई. एस. एल.-निर्धारिती विक्रेता, एक इस्पात निर्माण इकाई ने योजना में निवेश किया-ई. एस. एल. ने नाफ्था और प्राकृतिक के लिए कच्चे माल पर खरीद कर के भुगतान से छूट दी

अधिसूचना दिनांक 05.03.1992 की प्रविष्टि संख्या 255 के अनुसार गैस,

कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन-दो अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रवेश संख्या 255 में संशोधन-उक्त तीन अधिसूचनाओं के तहत, मुख्य आवश्यकताएं यह थीं कि पात्र इकाई विक्रेता को फॉर्म संख्या 26 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है जिसमें घोषणा की जाती है कि माल का उपयोग उसके द्वारा अपनी औद्योगिक इकाई में कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री या उपभोग्य भंडार के रूप में किया जाएगा, जिसके लिए उसने पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है।

तीन अधिसूचनाओं के तहत प्रदान की गई शर्तों के अनुसार अपनी औद्योगिक इकाई में माल के निर्माण के लिए-उक्त छूट

इस्पात निर्माण इकाइयों और बिजली उत्पादन में लगी इकाइयों/संस्थाओं को उद्योगों की सूची में रखा गया

" इस प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं-प्राकृतिक गैस और नाफ्था

ई. एस. एल. द्वारा खरीदी गई, फॉर्म No.26 में घोषणाओं के विरुद्ध ई. पी. एल. को बेची गई और ई. पी. एल. ने बिजली उत्पादन/निर्माण के उद्देश्य से ई. एस. एल. से खरीदी गई प्राकृतिक गैस और नाफ्था का उपयोग किया, जिसे ई. पी. एल.-निर्धारिती विक्रेता द्वारा ई. एस. एल. को बेचा गया, जिसमें अधिसूचना दिनांक No.255 (2) के अनुसार खरीद कर के भुगतान से छूट की मांग की गई थी। प्रपत्र में दी गई घोषणा के अनुसार

No.26, पात्र इकाई-ईएसएल को वास्तव में गुजरात राज्य के भीतर कच्चे माल के रूप में, निर्माण के लिए माल का उपयोग करने की आवश्यकता थी।

उनके द्वारा वस्तुओं की संख्या-बिजली उत्पादक कंपनियों को विशेष रूप से कच्चे माल की खरीद पर बिक्री/खरीद कर से किसी भी छूट के लिए 'अयोग्य' उद्योगों की सूची में रखा गया था-पात्र इकाई ईएसएल द्वारा ईपीएल को नाफ्था और प्राकृतिक गैस का हस्तांतरण, खरीद कर के भुगतान से छूट का लाभ उठाने के बाद और कच्चे माल का उपयोग नहीं करने के बाद।

अपने स्वयं के उपयोग के लिए सामग्री मूल प्रविष्टि संख्या 255 (2) में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शर्त का उल्लंघन है-मूल पात्रता शर्त कि पात्र इकाई "वास्तव में माल का उपयोग करेगी" संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) में समान रहती है। संशोधित प्रविष्टि को स्पष्टीकरणात्मक कहा जा सकता है और पात्रता के दायरे का विस्तार किया जा सकता है जैसा कि यह था-यह मूल प्रविष्टि के तहत पात्र इकाई को उपलब्ध अधिकारों को छीनने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

No.255 (2) दिनांक 05.03.1992, या किसी भी तरह से पहली/मूल अधिसूचना/प्रविष्टि No.255 (2) के साथ टकराव में-इस प्रकार, निर्धारिती विक्रेता द्वारा प्रपत्र No.26 (प्रविष्टि No.255) में दी गई घोषणा का उल्लंघन किया गया-14.11.2000 पर और उसके बाद खरीद कर की मांग, वादा रोक के सिद्धांत से प्रभावित नहीं-ईएसएल मूल छूट सूचना के अनुसार खरीद कर के भुगतान से छूट का हकदार नहीं था-यह गलत और गलत दावे का मामला था।

छूट, इस प्रकार, जुर्माना लगाना उचित है-निर्धारिती विक्रेता, जो डेढ़ गुना से अधिक दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। विधियों की व्याख्याः कराधान कानूनों के तहत छूट अधिसूचना-निर्माण/व्याख्या-आयोजितः छूट अधिसूचना को सख्ती से समझा जाना चाहिए और इसका अर्थ दिया जाना चाहिए।

विधायी इरादे के अनुसार-औद्योगिक नीति में निर्धारित शर्तों को नजरअंदाज करना अदालत के लिए खुला नहीं है और

छूट अधिसूचना-यदि अधिसूचना में निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, तो पार्टी उस अधिसूचना के लाभ का हकदार नहीं है-गुजरात बिक्री कर अधिनियम, 1969

सिद्धांतः प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत-प्रयोज्यता

के, कर लगाने वाले कानूनों में-आयोजितः प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत एक न्यायसंगत उपाय है और इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ढाला जाना चाहिए और इसे कबूतरों में नहीं बांटा जाना चाहिए-प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है, लेकिन सिद्धांत को विकसित और खुद को विस्तारित करना होगा ताकि पक्षों के बीच न्याय किया जा सके और पक्षों के बीच समानता सुनिश्चित की जा सके।

प्रावधान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

दंड अधिरोपित करना एतद्वारा बहाल किया जाता है। [पैरा 24] [760-डी-एफ] 2.1 मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित 05.03.1992 में यह प्रावधान नहीं है कि कच्चे माल की खरीद के बाद पात्र इकाई

सामग्री का स्वयं उपयोग करने के बजाय दूसरी इकाई को हस्तांतरित/बेचा जा सकता है और दूसरी इकाई उक्त कच्चे माल का उपयोग कर सकती है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस मामले में, यह मूल प्रविष्टि No.255 (2) में लगाई गई शर्तों को बदल देगा और यह छूट अधिसूचना/मूल प्रविष्टि में प्रदान नहीं की गई शर्तों से कुछ अधिक जोड़ने के समान होगा, जो अनुमेय नहीं है। मूल अधिसूचना किसी अन्य इकाई के उपयोग के लिए छूट का लाभ उठाने के बाद कच्चे माल के इस तरह के हस्तांतरण और उपयोग की अनुमति बिल्कुल नहीं देती है, जो अन्यथा प्रोत्साहन नीति के अनुसार किसी भी छूट का हकदार नहीं है। [पैरा 11.1] [752-एफ-जी]

इस तरह की छूट के लिए पात्र नहीं था। [पैरा 12] [752-एच; 753-ए बी] 2.3 . छूट का लाभ उठाने के बाद पात्र इकाई-ई. एस. एल. द्वारा दूसरी इकाई-ई. पी. एल. को नाफ्था और प्राकृतिक गैस का हस्तांतरण।

क्रय कर के भुगतान से और नाफ्था और गुजरात राज्य का उपयोग नहीं करना v.

प्राकृतिक गैस (कच्चा माल) अपने स्वयं के उपयोग के लिए उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्माण के लिए, इसे मूल प्रविष्टि में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शर्त का उल्लंघन कहा जा सकता है।

No.255 (2) दिनांकित 05.03.1992 और यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी-ईएसएल ने प्रपत्र No.26 में दी गई घोषणा का उल्लंघन किया है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि प्रत्यर्थी ने मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 में उल्लिखित किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया है। [पैरा 14] [753-डी-एफ]

छूट अधिसूचना भाषा के अनुसार प्रभावी होनी चाहिए न कि भाषा से विचलित होने वाले दायरे का विस्तार करने के लिए। चार्जिंग प्रावधान के बीच एक बड़ा अंतर और अंतर है। राजकोषीय कानून और छूट अधिसूचना में। [पैरा 14.1-14.3,14.6] [753-जी-एच; 754-ए-बी, जी]

2.5 . तत्काल मामले में, प्रोत्साहन नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान करने का राज्य का इरादा इसका लाभ देना था

खरीद कर के भुगतान से छूट उद्योगों के विशिष्ट वर्ग के लिए थी और विशेष रूप से, 'योग्य उद्योगों' की सूची के अनुसार। अयोग्य उद्योगों में सूचीबद्ध उद्योगों के लिए छूट उपलब्ध नहीं थी। ई. पी. एल. जैसे बिजली उत्पादक उद्योगों जैसे 'अयोग्य उद्योगों' को छूट का लाभ देने के लिए प्रोत्साहन नीति तैयार करते समय राज्य सरकार का कभी भी इरादा नहीं था, जिन्हें 'अयोग्य' उद्योगों की सूची में रखा गया था। [पैरा 14.5] [754-डी-ई] [2022] 12 एस. सी. आर.

2.6 . दूसरी अधिसूचना दिनांक 14.11.2000/संशोधित

प्रविष्टि No.255 (2), प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक है और मूल प्रविष्टि No.255 (2) में उल्लिखित बुनियादी पात्रता मानदंडों/शर्तों में कोई बदलाव नहीं है। मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के अनुसार और यहां तक कि उसमें संलग्न प्रपत्र No.26 के अनुसार, पात्र इकाई को वास्तव में खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग करने की आवश्यकता थी। बाद की अधिसूचना में, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग पात्र इकाई द्वारा अपनी औद्योगिक इकाई में किया जाना है। इसलिए, मूल आवश्यकता यह है कि पात्र इकाई को वास्तव में ऐसे कच्चे माल का उपयोग करना होगा

उसके द्वारा खरीदा गया किसी भी तरह से संशोधित और/या संशोधित नहीं है। इसके विपरीत, बाद की संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित

14.11.2000 कहा जा सकता है कि पात्रता के दायरे का विस्तार किया जा रहा है

यह था। इससे पहले पात्र इकाई को वास्तव में गुजरात राज्य के भीतर खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग करने की आवश्यकता थी और

बाद में संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 14.11.2000 भले ही इस तरह के सामान का उपयोग गुजरात राज्य के बाहर किया जाता है, उस मामले में भी ऐसी पात्र इकाई को छूट के लिए पात्र माना गया था। यहां तक कि संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 14.11.2000 में शर्त संख्या 6 के अनुसार, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि पात्र इकाई वास्तव में खरीदे गए सामान का उपयोग करेगी, जो पहली अधिसूचना में भी आवश्यकता थी। इसलिए, बाद में संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित 14.11.2000 अधिसूचना के माध्यम से कहा जा सकता है

स्पष्टीकरणात्मक और/या पात्रता के दायरे का विस्तार करना, लेकिन किसी भी मामले में, इसे मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के तहत किसी भी अधिकार को छीनने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह, तीसरी संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित 16.01.2002 को भी मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित 05.03.1992 के तहत उपलब्ध किसी भी अधिकार को छीनने के लिए नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 15.1,16] [755-बी-जी]

2.7 . बाद में संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित 16.01.2002 अधिसूचना के माध्यम से भी कहा जा सकता है कि इसका दायरा बढ़ रहा है

पात्रता और किसी भी तरह से मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के तहत योग्य इकाई के लिए उपलब्ध अधिकारों को छीनना नहीं कहा जा सकता है। पात्रता मानदंड/शर्त कि पात्र इकाई "वास्तव में माल का उपयोग करेगी" उक्त संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 16.01.2002 में भी समान है। इसलिए, बाद की अधिसूचनाओं/संशोधित प्रविष्टियों को किसी भी तरह से पहली/मूल अधिसूचना/प्रविष्टि No.255 (2) के साथ टकराव में नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 16.1] [755-एच; 756-ए-बी] गुजरात राज्य बनाम।

आर्केलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड

एक अन्य इकाई/इकाई, जिसका उपयोग एक अन्य इकाई ने अपने सामान के निर्माण के लिए किया था- बिजली का उत्पादन और जो बदले में ई. पी. एल. ई. एस. एल. को बेचा। इस प्रकार, ई. एस. एल.-पात्र इकाई ने मूल प्रविष्टि No.255 (2) के अनुसार भी पात्रता मानदंडों/शर्तों का पालन नहीं किया और/या उन्हें पूरा नहीं किया और इसलिए, वह इसके लिए हकदार थी/नहीं।

मूल प्रविष्टि No.255 (2) के माध्यम से दिनांकित 05.03.1992 छूट अधिसूचना के अनुसार खरीद कर के भुगतान से छूट। इसलिए, यह मानते हुए भी कि दूसरी और तीसरी अधिसूचनाओं के माध्यम से बाद की संशोधित प्रविष्टियों को लागू नहीं किया जाना है

उस मामले में भी प्रतिवादी-एस्सार स्टील लिमिटेड को पात्र इकाई होने के नाते मूल प्रविष्टि No.255 (2) में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों/शर्तों का पालन करना और/या उन्हें पूरा करना आवश्यक था। वास्तव में कच्चे माल का स्वयं उपयोग नहीं करना और उसे गैर-योग्य इकाई को हस्तांतरित/बेचना, प्रतिवादी मूल के तहत भी छूट का लाभ उठाने का हकदार नहीं था।

प्रविष्टि No.255 (2)। [पैरा 17] [756-सी-एफ]

2.9 . यहां तक कि प्रपत्र संख्या 26 (प्रविष्टि No.255) के अनुसार, प्रत्यर्थी द्वारा दायर घोषणा के अनुसार, 'पात्र' इकाई होने के बावजूद

विनिर्माण वस्तुओं में उपयोग के लिए वस्तुओं की खरीद, यह घोषित किया गया था कि इस प्रकार खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग बिक्री के लिए वस्तुओं के निर्माण में किया जाएगा। इस प्रकार, उसके द्वारा खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग नहीं करने से, उत्तरदाता-योग्य इकाई-ई. एस. एल. फॉर्म No.26 में दी गई घोषणा का उल्लंघन किया। इसलिए, प्रतिवादी पहली/मूल अधिसूचना के तहत भी छूट का हकदार नहीं था। [पैरा 18] [756-जी]

2.10 . तत्काल मामले में, सबसे पहले, का सिद्धांत

माँगी गई छूट के लिए वादा रोक को बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाना चाहिए था। प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष/अवधि स्वतंत्र होती है। अन्यथा भी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रत्यर्पण का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

तत्काल मामले में, प्रतिवादी-पात्र इकाई पहली अधिसूचना के तहत भी छूट का हकदार नहीं था क्योंकि इसने फॉर्म No.26 में दी गई घोषणा का उल्लंघन किया था और साथ ही छूट का लाभ उठाते समय पूरा करने के लिए आवश्यक पात्रता मानदंडों/शर्तों का पालन और/या उन्हें पूरा नहीं किया था। प्रत्यर्थी ने वास्तव में अपने द्वारा खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग नहीं किया और छूट का लाभ उठाया और छूट का लाभ उठाया।

उक्त कच्चे माल को 'अयोग्य' इकाई को बेच दिया-ई. पी. एल. और ई. पी. एल. ने उसी का उपयोग अपने सामान के निर्माण के लिए किया-बिजली पैदा करने के लिए, जिसे बाद में फिर से ई. एस. एल.-योग्य इकाई को बिक्री के भुगतान पर बेच दिया गया। [पैरा 19] [757-ए-सी]

2.11 . राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन नीति के अनुसार, बिजली उत्पादन कंपनी को 'अयोग्य उद्योगों' की सूची में रखा गया था और इस प्रकार, स्वतंत्र रूप से मूल प्रविष्टि No.255 (2) के तहत छूट का हकदार नहीं था। इस प्रकार, पात्र इकाई से दूसरी इकाई को इस तरह के हस्तांतरण/बिक्री से छूट का लाभ 'अयोग्य' उद्योग द्वारा लिया जाता है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है और जिसे प्रोत्साहन प्रदान करते समय सरकार का इरादा नहीं कहा जा सकता है।

क्रय कर के भुगतान से छूट। इस तरह के लाभ छूट केवल पात्र इकाइयों/उद्योगों के लिए उपलब्ध थी और

इस्पात उद्योग जिसमें ई. एस. एल. का संबंध है, योग्य उद्योगों में से एक है। इसलिए, इसकी प्रयोज्यता का कोई सवाल ही नहीं था

प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत। [पैरा 20] [757-डी-ई] 2.12 . ई. एस. एल. ने गलत और झूठी घोषणाएं की थीं। मूल अधिसूचना/प्रविष्टि में, यह प्रावधान नहीं किया गया था कि भले ही इस तरह से खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग छूट का लाभ उठाने के बाद स्वयं नहीं किया जाता है, उसे किसी अन्य इकाई को बेचा जा सकता है, जो 'अयोग्य' उद्योग है। इसमें यह प्रावधान नहीं था कि ऐसी स्थिति में

और इस तथ्य के बावजूद कि कच्चा माल वास्तव में पात्र इकाई द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, जिसका उपयोग प्रपत्र No.26 में घोषणा के अनुसार भी किया जाना आवश्यक था, ऐसी पात्र इकाई छूट की हकदार होगी। ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। छूट अधिसूचनाओं में उपयोग किए जाने वाले शब्द और भाषा बहुत स्पष्ट, सरल और स्पष्ट हैं। इसलिए, जब ऐसा कोई वादा और/या प्रतिनिधित्व नहीं था, तो मांग को वचन निरसन के सिद्धांत से प्रभावित नहीं कहा जा सकता है जैसा कि गुजरात राज्य v.

न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में। [पैरा 20.1] [757-एफ-एच; 758-ए]

2.13 . प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत एक न्यायसंगत है

उपचार और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ढाला जाना चाहिए और कबूतर के छिद्रों में स्ट्रैटजैकेट नहीं किया जाना चाहिए। वचन के सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है।

लेकिन इस सिद्धांत को विकसित और विस्तारित करना होगा ताकि पक्षों के बीच न्याय किया जा सके और पक्षों के बीच समानता सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान मामले में, प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत लागू नहीं होगा। [पैरा 20.2] [758-बी-सी]

2.14 . कर लगाने के मामलों में, इस तरह के वचन रद्द करने का सिद्धांत लागू नहीं होता है और राजस्व एक स्थिति ले सकता है। स्थापित मामले में अपने पहले के रुख से अलग

विशिष्टताएँ। वचन रद्द करने और रद्द करने के नियम विशिष्ट शर्तों को बदलने या संशोधित करने के लिए और वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ लागू नहीं किए जा सकते हैं। छूट अधिसूचना में निहित सभी नियम और शर्तें प्रबल होंगी।

और छूट का दावा करने वाले व्यक्ति को छूट अधिसूचना में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों/शर्तों को पूरा करना होगा। [पैरा 20.3,20.4] [758-सी-ई]

2.15 . कानून की योजना किसी भी तरह से यह संकेत नहीं देती है कि प्रदान किए गए प्रोत्साहन को जारी रखना होगा

अधिसूचना/प्रविष्टि No.255 (2) स्वीकार नहीं की जा सकती है। यदि उस मामले में इस तरह की प्रस्तुति को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह अवैधता को कायम रखेगा और 'अयोग्य' को छूट का लाभ देगा। उद्योग ', जिन्होंने छूट अधिसूचना में उल्लिखित पात्रता मानदंडों/शर्तों को पूरा नहीं किया और/या उनका पालन नहीं किया। वचन निरसन का सिद्धांत [2022] 12 एस. सी. आर. के विपरीत लागू नहीं होगा।

क़ानून के लिए। केवल इसलिए कि गलत तरीके से और/या गलत व्याख्या, पहले के मूल्यांकन वर्षों में कुछ लाभ गलत तरीके से दिए गए थे, गलत को जारी रखने और छूट का लाभ देने का आधार नहीं हो सकता है, हालांकि छूट अधिसूचना के तहत पात्र नहीं है। [पैरा 21.1,22] [758-जी-एच; 759-ए-सी]

2.16 . जुर्माना धारा 45 के तहत लगाया जा सकता है और ऐसा जुर्माना अधिनियम, 1969 की धारा 45 की उप-धारा (5) और (6) के तहत लगाया जा सकता है और निर्धारित खरीद कर पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें प्रावधान है कि यदि भुगतान किए गए कर और देय कर का अंतर / अभिनिर्धारित राशि पँचिश प्रतिशत से अधिक है, उस स्थिति में यह समझा जाएगा कि विक्रेता इस प्रकार निर्धारित/पुनर्निर्धारित राशि और भुगतान की गई राशि के बीच के अंतर की सीमा तक कर का भुगतान करने में विफल रहा है और उस स्थिति में ऐसे विक्रेता पर उप-धारा (5) के अनुसार अंतर का डेढ़ गुना नहीं बढ़ाने का जुर्माना लगाया जाएगा। अतः पँचिश प्रतिशत से अधिक का अंतर होने पर उक्त सीमा तक जुर्माना लगाया जाएगा। यह छूट के झूठे और गलत दावे का एक स्पष्ट मामला है, क्योंकि छूट प्राप्त माल को किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया था और

एक 'अयोग्य' उद्योग में उपयोग किया जाता है। यह जानबूझकर उल्लंघन और बुराई करने का मामला है। [पैरा 23] [759-डी-ई]

2.17 . चूंकि भुगतान किए गए कुल कर और खरीद कर के बीच का अंतर पच्चीस प्रतिशत से अधिक है, इसलिए माना जाता है कि प्रतिवादी धारा 45 की उप-धारा (5) के अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहा है और इसलिए, डेढ़ गुना से अधिक दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। धारा 45 की उप-धारा (6) में उपयोग किए गए शब्द हैं "ऐसे विक्रेता पर अंतर के डेढ़ गुना से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा"। पल भर में

मामला, कार्यप्रणाली जो प्रतिवादी द्वारा अपनाई गई थी, एक दंड का वारंट करती है। हालांकि, कच्चे माल का उपयोग अपने माल के निर्माण के लिए स्वयं करने की आवश्यकता थी, इसका लाभ उठाने के बाद

पात्र इकाई के रूप में छूट और अपने लिए उसी का उपयोग करने के बजाय, ई. एस. एल. ने कच्चे माल को एक 'अयोग्य' इकाई-ई. पी. एल. को बेच दिया, जिसने इसका उपयोग बिजली पैदा करने वाले अपने सामान के निर्माण के लिए किया, जो फिर से ई. एस. एल. को बेचा गया।

बिजली खरीद समझौते के तहत। [पैरा 23.1] [759-एफ-एच; 760 एजे

2.18 . इस प्रकार ई. पी. एल., प्रोत्साहन योजना के तहत, गुजरात राज्य के रूप में खरीद कर के भुगतान से छूट के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं था।

आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड

वास्तव में बिजली उत्पादन कंपनियों को 'अयोग्य उद्योगों' की सूची में डाल दिया गया था। इसलिए, इस तरह की कार्यप्रणाली से, लाभ, जो ई. पी. एल. को उपलब्ध नहीं था, ई. एस. एल. द्वारा ई. पी. एल. को कच्चे माल के इस तरह के हस्तांतरण द्वारा उपलब्ध कराया गया था। फॉर्म No.26 में भी घोषणा का उल्लंघन है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जुर्माना लगाना उचित और आवश्यक है। [पैरा 23.2] [760-बी-सी]

2.19 . उच्च न्यायालय के साथ-साथ न्यायाधिकरण द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश को रद्द करते हुए और प्रत्यर्थी से खरीद कर की मांग को अलग रखने के लिए इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। [पैरा 24] [760-डी]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बैंगलोर-1 v. बाल फार्मा लिमिटेड, बैंगलोर और अन्य। , (2011) 2 एससीसी

620 पर भरोसा किया।

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी एंड अदर, (2018) 9 एस. सी. सी. 1: [2018] 7 एससीआर 1191; भारत संघ और ए. एन. आर. आदि। आदि. वी. वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य, आदि। , (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 378; बेंगलुरु विकास प्राधिकरण बनाम। सुधाकर हेगड़े और ओआरएस। , (2020) 15 एस. सी. सी. 63; कोठारी औद्योगिक निगम लिमिटेड बनाम। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड और एएनआर। , (2016) 4 एससीसी 134: [2016] 1 एस. सी. आर. 564; एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति बनाम।

सतीश कुमार गुप्ता और अन्य। , (2020) 8 एससीसी 531: [2019] 16 एस. सी. आर. 275; सहायक आयुक्त (सी. टी.) एल. टी. यू. और

एन. आर. वी. अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड, (2009) 8 एस. सी. सी. 209: [2009] 11 एससीआर 953; हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य (1969) 2 एस. सी. सी. 627: [1970] 1 एससीआर 753; एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड बनाम। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और एएनआर। , (2017) 8 एससीसी 47: [2017] 5 एससीआर 901 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 7 एससीआर 1191

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.7

(2020) 15 एससीसी 63

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.10

[2016] 1 एससीआर 564

संदर्भित किया गया है

पैरा

3.12 [2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 16 एससीआर 275

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.1

[2009] 11 एससीआर 953

एस के लिए संदर्भित

पैरा 4.10

[1970] 1 एससीआर 753

पैरा 4.29

संदर्भित किया गया है

[2017] 5 एससीआर 901

पैरा 4.29

संदर्भित किया गया है

(2011) 2 एस. सी. सी. 620

उस पर भरोसा करें

पैरा 20.3

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.7710

7714 2021 से।

उच्च न्यायालय के 06.05.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 की कर अपील Nos.136 से 140 तक अहमदाबाद में गुजरात सरकार की।

मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रभास बजाज, सुश्री दीपानविता

प्रियंका, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

रितिन राय, वरिष्ठ अधिवक्ता। , विशाल गेहराना, आशुतोष पी. शुक्ला, सुश्री कृतिका,

मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी, एड. उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित आम लोगों से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 06.05.2016 कर अपील संख्या में पारित किया गया। 136 2016 से लेकर 2016 का 140 तक, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा दायर की गई उक्त अपीलों को खारिज कर दिया है और 2013 की 423 की दूसरी अपील में गुजरात मूल्य वर्धित कर न्यायाधिकरण, अहमदाबाद (जिसे इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित सामान्य आदेश को बरकरार रखा है, जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादी भुगतान से छूट का हकदार है।

एफ. डी. की अधिसूचना दिनांक 05.03.1992 के अनुसार मूल प्रविष्टि No.255 (2) के अनुसार बिक्री कर की राशि, जो आई. डी. 2 की धारा 49 (2) के तहत जारी की गई थी।

गुजरात बिक्री कर अधिनियम, 1969 (इसके बाद "अधिनियम, 1969" के रूप में संदर्भित), गुजरात राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. कि इसमें प्रत्यर्थी-निर्धारिती-विक्रेता (पहले ज्ञात)

एस्सार स्टील लिमिटेड के रूप में) गुजरात के सूरत में हजीरा में स्थित अपनी दो इकाइयों में हॉट ब्रिकेटेड आयरन (एचबीआई) और हॉट रोल्ड कॉइल (एचआरसी) के निर्माण और बिक्री की गतिविधि में लगी हुई है। प्रत्यर्थी के पास गुजरात बिक्री कर अधिनियम, 1969 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र है। प्रतिवादी ने गुजरात राज्य v द्वारा जारी किए गए संकल्प दिनांक 07.05.1986 के अनुसार इकाई संख्या 1 में योग्य निवेश किया।

आर्केलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

गुजरात सरकार का उद्योग, खान और ऊर्जा विभाग। इसलिए, प्रत्यर्थी को पात्र अवधि के दौरान 01.08.1990 से 31.07.2004 तक रुपये की ऊपरी मौद्रिक सीमा तक प्रोत्साहन प्राप्त करने के हकदार के रूप में प्रमाणित किया गया था। 237.59 करोड़।

2.1 गुजरात सरकार ने संकल्प दिनांक 26.07.1991 के माध्यम से एक योजना की घोषणा की जिसे "विशेष प्रोत्साहन के लिए योजना" के रूप में जाना जाता है।

प्रतिष्ठित इकाइयाँ 1990-95 (संशोधित) "मुख्य क्षेत्र के उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के लिए। उक्त योजना के तहत, एक प्रतिष्ठित इकाई निश्चित पूंजी निवेश के 90 प्रतिशत तक प्रोत्साहन के लिए पात्र थी। उक्त योजना के अनुसार, प्रतिवादी-एस्सार स्टील लिमिटेड (इसके बाद "ईएसएल" के रूप में संदर्भित) ने एचआरसी के निर्माण के लिए लगभग Rs.5000 करोड़ का निवेश किया। कि उक्त छूट की प्रविष्टि 255 के अनुसार प्रदान की गई थी

अधिनियम, 1969 की धारा 49 (2) के तहत गुजरात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना। कि ई. एस. एल. की इकाई संख्या 2 को दिनांकित अधिसूचना की प्रविष्टि No.255 (2) के संदर्भ में बिक्री कर छूट दी गई थी।

05.03.1992 अधिनियम, 1969 की धारा 49 (2) के तहत 22.02.1993 से 21.02.2007 तक की अवधि के लिए रुपये की अधिकतम मौद्रिक सीमा तक जारी किया गया। 2050 करोड़।

2.2 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रविष्टि No.255 (2) के अनुसार अधिसूचना दिनांक 05.03.1992 के अनुसार उक्त छूट विषय थी।

उक्त मूल प्रविष्टि No.255 (2) में दी गई कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए, जिन पर आगे चर्चा की जाएगी।

2.3 कि प्रत्यर्थी की इकाई संख्या 2 को दी गई छूट कच्चे माल पर खरीद कर के भुगतान से छूट थी

((i) नाफ्था और (ii) प्राकृतिक गैस। नाफ्था पर संबंधित समय पर लागू खरीद कर कर योग्य मूल्य पर 16 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस के लिए कर योग्य मूल्य पर 20 प्रतिशत था। इस स्तर पर यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह छूट इस्पात को उपलब्ध कराई गई थी

विनिर्माण इकाइयों और बिजली उत्पादन में लगी इकाइयों/संस्थाओं को इस प्रोत्साहन के लिए "पात्र नहीं" उद्योगों की सूची में रखकर विशेष रूप से इस छूट से बाहर रखा गया था।

2.4 मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के अनुसार, शर्त संख्या 6 में पात्र इकाइयों को वास्तव में माल का उपयोग करने की आवश्यकता थी।

गुजरात राज्य के भीतर कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री या बिक्री के लिए माल के निर्माण में उपभोग्य भंडार के रूप में खरीदा गया

गुजरात राज्य के भीतर या गुजरात राज्य के बाहर या पैकिंग के रूप में इस प्रकार निर्मित वस्तुओं की पैकिंग में सामग्री।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इकाई विक्रेता को प्रपत्र संख्या 26 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है और पंजीकरण प्राधिकरण से प्राप्त करती है, जिसमें यह घोषणा की जाती है कि उसके द्वारा अपनी औद्योगिक इकाई में कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री या उपभोग्य भंडार के रूप में माल का उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए उसने पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तीन अधिसूचनाओं के तहत प्रदान की गई शर्तों के अनुसार अपनी औद्योगिक इकाई में माल के निर्माण के लिए। 2.7 इकाई संख्या 2 के चालू होने पर, प्रत्यर्थी द्वारा खरीदी गई प्राकृतिक गैस और नाफ्था-ई. एस. एल.

(इसके बाद "ई. पी. एल". के रूप में संदर्भित) और ई. पी. एल. ने ई. एस. एल. से खरीदी गई प्राकृतिक गैस और नाफ्था का उत्पादन/उपयोग करने के उद्देश्य से किया। बिजली का निर्माण, जिसे ई. पी. एल. द्वारा ई. एस. एल. को बेचा गया। प्रतिवादी-ई. एस. एल. की ओर से यह मामला है कि ई. पी. एल. द्वारा उत्पन्न उक्त बिजली का उपयोग उसने अपनी औद्योगिक इकाई में एच. आर. सी. के निर्माण के उद्देश्य से किया था।

2.8 बिक्री कर के अधिकारियों ने जुलाई, 2001 के महीने में प्रत्यर्थी-ई. एस. एल. के परिसर का औचक दौरा किया। एक नोटिस बिक्री कर अधिकारी द्वारा शाखा हस्तांतरण, मानित निर्यात, तैयार वस्तुओं के हस्तांतरण आदि के विवरण सहित कुछ जानकारी के लिए जारी किया गया था। इसके बाद बिक्री कर विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरदाता-ई. एस. एल. द्वारा नाफ्था/प्राकृतिक गैस की खरीद करते समय फॉर्म No.26 में दी गई घोषणा के उल्लंघन के बारे में इस आधार पर विवाद उठाया कि इस तरह से खरीदा गया माल गुजरात राज्य के लिए ई. पी. एल. को हस्तांतरित किया गया था।

आर्केलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

बिजली का उत्पादन, जिसका उपयोग तब इकाई संख्या 2 में किया जाता था

एचआरसी का निर्माण। ई. एस. एल. से बिजली उत्पादन के लिए ई. पी. एल. को नाफ्था/प्राकृतिक गैस के हस्तांतरण सहित छूट की शर्तों के कथित उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बिक्री कर अधिकारी द्वारा 30.06.2002 पर एक नोटिस जारी किया गया था। कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 1995-1996 से 1997-1998 और 2000-2001 के लिए इकाई संख्या 2 के संबंध में मूल्यांकन आदेश पारित किए और अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया कि प्रविष्टि 255 (2) के तहत स्वीकार्य छूट की शर्तों के किसी भी कथित उल्लंघन के कारण प्रतिवादी-ई. एस. एल. द्वारा कोई कर देय और देय नहीं था। 2.9 इसके बाद, बिक्री कर उपायुक्त द्वारा खरीद की वसूली शुरू करने के लिए 30.05.2005 दिनांकित एक नोटिस जारी किया गया।

रुपये का कर। 480.99 करोड़ और 1995-1996 से 2005-2006 की अवधि के लिए इस आधार पर जुर्माना लगाने के लिए कि प्रतिवादी-ईएसएल ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, विशेष रूप से, प्रविष्टि No.255 और छूट का गलत तरीके से लाभ उठाया है। प्रतिवादी-ई. एस. एल. ने उपायुक्त द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। दिनांक 1 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने विभागीय अधिकारियों को इस शर्त के अधीन मूल्यांकन आदेशों को लागू करने या लागू करने से रोक दिया कि इकाई संख्या 2 के संबंध में, प्रतिवादी-ई. एस. एल. को आदेश में निर्धारित समय के भीतर कर बकाया का 50 प्रतिशत जमा करना चाहिए। बिक्री कर उपायुक्त द्वारा मूल्यांकन आदेशों को संयुक्त आयुक्त के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई। संयुक्त आयुक्त-प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 30.04.2013 के आदेश के अनुसार अधिनियम की धारा 50 के तहत 1998-1999 और 1999-2000 वर्षों के लिए खरीद कर लगाया। हालांकि, पहली अपीलीय प्राधिकरण ने पहली अपील में स्वीकार किया कि जब तक 14.11.2000 पर प्रविष्टि No.255 में संशोधन नहीं हुआ, तब तक भले ही खरीदे गए सामान का उपयोग गुजरात राज्य में किसी भी स्थान पर निर्माण के लिए किया गया हो, फॉर्म No.26 में निर्धारित शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और उक्त मूल्यांकन के लिए

वर्षों से, लगाए गए ब्याज और जुर्माने के साथ खरीद कर को अलग कर दिया गया। इस प्रकार, संयुक्त आयुक्त/प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने 14.11.2000 तक माल की खरीद के संबंध में खरीद कर लगाने की पुष्टि की। 2.10 संयुक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 30.04.2013 द्वारा पारित आदेश के खिलाफ व्यथित होने के कारण, दोनों, प्रतिवादी-विक्रेता-ई. एस. एल. लैंड राज्य सरकार ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों को प्राथमिकता दी। कि 29.01.2015 दिनांकित आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण ने दूसरी अपील [2022] 12 एस. सी. आर. को अनुमति दी।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत-ई. एस. एल. ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी-ई. एस. एल. विवादित लेन-देन पर किसी भी कर, ब्याज या जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और राज्य की परस्पर आपत्तियों को खारिज कर दिया।

2.11 प्रतिवादी द्वारा पसंद की गई दूसरी अपील की अनुमति देने वाले न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना -

विक्रेता-निर्धारिती और राज्य द्वारा पसंद की गई क्रॉस आपत्ति को खारिज करते हुए और यह मानते हुए कि प्रतिवादी-ई. एस. एल. किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है,

विवादित लेन-देन पर ब्याज या जुर्माना, राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलों को कर अपील संख्या को प्राथमिकता दी। 136 से 2016 2016 के 140 तक। विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने कथित अपीलों को मुख्य रूप से प्रतिज्ञात्मक रोक के आधार पर खारिज कर दिया है और यह भी कहा है कि प्रतिवादी-ई. एस. एल. ने मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के तहत प्रदान की गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।

2.12 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राज्य ने प्राथमिकता दी है वर्तमान अपीलें।

3. श्री मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

अपीलार्थी की ओर से-गुजरात राज्य ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश स्पष्ट रूप से गलत और अस्थिर है।

3.1 राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, दिनांकित 05.03.1992 अधिसूचना को मूल अधिसूचना कहा जा सकता है और दिनांकित 14.11.2000 और 16.01.2002 की अन्य सभी अधिसूचनाएं या तो स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति की थीं और/या छूट का दायरा बढ़ा रही थीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में, मूल प्रविष्टि No.255 (2) में संशोधन करने वाली 14.11.2000 और 16.01.2002 की बाद की अधिसूचनाओं को किसी भी अधिकार को छीनने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जो दिनांक 05.03.1992 की मूल अधिसूचना के तहत प्रदान किए गए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण द्वारा लागू किए गए वचन रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं है।

3.2 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंह ने प्रस्तुत किया है कि मूल अधिसूचना दिनांक 05.03.1992 के अनुसार और

मूल प्रविष्टि संख्या 255 (2) और सांविधिक प्रपत्र No.26 के अनुसार, यह बहुत स्पष्ट है कि मूल अधिसूचना दिनांक 05.03.1992 केवल 'पात्र इकाई' को गुजरात राज्य के लिए कच्चे माल का उपयोग करने के लिए छूट प्रदान करती है।

आर्केलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

समान 'योग्य इकाई' में माल के निर्माण के लिए सामग्री। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए कच्चे माल-नाफ्था और प्राकृतिक गैस का उपयोग 'योग्य इकाई-एस्सार स्टील लिमिटेड' द्वारा एक ही इस्पात इकाई में और केवल इस्पात के निर्माण के लिए किया जाना आवश्यक था। 3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण द्वारा की गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस मामले में, भले ही पात्र इकाई स्वयं कच्चे माल का उपयोग नहीं करती है, वह छूट का लाभ उठाने के बाद, कच्चे माल को किसी अन्य इकाई या इकाई को भेज सकती है, यहां तक कि उक्त संस्थाएं भी छूट के लिए 'पात्र नहीं' हैं और ऐसी संस्थाएं हालांकि 'पात्र नहीं' हैं, फिर भी उन्हें छूट का लाभ मिलेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल 'पात्र इकाइयों' को छूट देने का उद्देश्य और उद्देश्य यह नहीं हो सकता है।

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रोत्साहन योजना शुरू करते समय, विभाग ने कच्चे माल की खरीद पर बिक्री/खरीद कर से किसी भी छूट के लिए 'योग्य इकाइयों' और 'गैर-योग्य इकाइयों' के उद्योगों की सूची जारी की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में बिजली उत्पादन कंपनियों को विशेष रूप से 'गैर-पात्र इकाइयों' की श्रेणी में रखा गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अधिसूचनाओं के स्पष्ट और स्पष्ट नियमों और शर्तों के बारे में पूरी तरह से अवगत होने के बावजूद जिसमें बिजली उत्पादक कंपनियों को विशेष रूप से बनाया गया था

' छूट का लाभ उठाने के लिए 'अयोग्य' और हालांकि ईएसएल को अपनी इकाई में कच्चे माल-नाफ्था और प्राकृतिक गैस का उपयोग करने की आवश्यकता थी, खरीद कर के भुगतान से छूट का लाभ उठाने के बाद, ईएसएल ने अपनी इकाई में उक्त कच्चे माल का उपयोग नहीं किया, बल्कि उक्त कच्चे माल को दूसरी कंपनी-ईपीएल को बेच दिया, और ईपीएल ने बिजली पैदा करने के लिए उक्त कच्चे माल-नाफ्था और प्राकृतिक गैस का उपयोग किया, जो बाद में आया।

बाद में ESL.It को बेचा जाता है कि, इस प्रकार, इस तरह के परिपथ विधि के माध्यम से, ईएसएल ने ई. पी. एल. को छूट का लाभ दिया, जो अन्यथा ई. पी. एल. पात्र और/या हकदार नहीं था।

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार की गई निर्धारिती ई. एस. एल. द्वारा दी गई व्याख्या

छूट अधिसूचनाओं के उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देगा और ऐसे बेईमान निर्धारिती/डीलर को प्रीमियम देना होगा, जो छूट का लाभ उठाने के बाद कच्चे माल को किसी अन्य उद्योग/संस्था को बेच देगा, जो इस तरह की छूट के हकदार नहीं हैं और/या पात्र नहीं हैं।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि निर्धारिती द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस मामले में, यह उन उद्योगों को अनुमति देगा, जो केवल कच्चा माल खरीदने के लिए छूट के लिए पात्र हैं; उन्हें अपनी इकाइयों में किसी भी निर्माण के लिए उपयोग नहीं करेंगे, और फिर उन्हें केवल अन्य इकाइयों द्वारा उपयोग और निर्माण के लिए प्रेषित करेंगे, भले ही ऐसी इकाइयाँ अधिसूचना/नीति के तहत छूट के लिए पात्र न हों। 3.6 राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में,

मूल छूट अधिसूचना और प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित 05.03.1992 में उपयोग किए गए शब्द बहुत स्पष्ट और स्पष्ट हैं। यह विशेष रूप से छूट का लाभ उठाने के लिए शर्तें प्रदान करता है और पात्र इकाइयों को मूल प्रविष्टि No.255 (2) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करना होता है।

दिनांकित 05.03.1992।

3.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर निर्धारित कानून के अनुसार, छूट अधिसूचना के प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी कथित अस्पष्टता के मामले में भी, प्रावधान को राजस्व के पक्ष में समझा जाना चाहिए। सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम के मामले में रिलायंस को इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर रखा गया है। दिलीप कुमार एंड कंपनी एंड अदर्स, (2018) 9 एस. सी. सी. 1 (पैरा 66) के साथ-साथ भारत संघ और ए. एन. आर. के मामले में इस न्यायालय का एक और निर्णय। आदि। आदि। बनाम। वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य, आदि। , (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 378 (पैरा 53-55)।

3.8 राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह ने आगे यह प्रस्तुत किया कि किस चीज के साथ वजन किया जाता है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि खरीद कर के उद्ग्रहण पर यह कहते हुए रोक लगाने के वचन के सिद्धांत का प्रभाव पड़ता है कि 14.11.2000 और 16.01.2002 की बाद की अधिसूचनाओं द्वारा, राज्य उन अधिकारों को नहीं ले सकता था जो दिनांक 05.03.1992 की मूल अधिसूचना के तहत उपलब्ध हैं।

3.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार बाद की अधिसूचना दिनांक 14.11.2000 को स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का कहा जा सकता है और इसलिए,

मूल प्रविष्टि संख्या 255 (2) दिनांकित 05.03.1992 में दी गई शर्तों को बाद की अधिसूचनाओं से प्रभावित नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद की अधिसूचना दिनांक 14.11.2000 द्वारा, मूल प्रविष्टि संख्या 255 (2) दिनांक 05.03.1992 की शर्तों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया गया है और इस तरह मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 में लगाई गई शर्तों में कोई बुनियादी संशोधन नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों अधिसूचनाएँ दिनांकित 05.03.1992 और 14.11.2000 गुजरात राज्य v.

बशर्ते कि मूल शर्त यह हो कि पात्र इकाई को विक्रेता को प्रपत्र No.26 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कच्चा माल खरीदे गए माल का उपयोग केवल उसकी औद्योगिक इकाई में निवेश के रूप में किया जाएगा। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद की अधिसूचना दिनांक 14.11.2000 को किसी भी तरह की कल्पना के बिना मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 में प्रदान की गई छूट का लाभ उठाने की बुनियादी शर्तों को संशोधित करना कहा जा सकता है।

3.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह से दिनांकित स्पष्टीकरण अधिसूचना 14.11.2000 ने इसे बहुत स्पष्ट और किसी भी संदेह से परे कर दिया था

कि कच्चे माल की खरीद पर ऐसी कोई छूट उपलब्ध होगी। केवल उस इकाई के लिए जब वह उसी इकाई में माल के निर्माण के लिए कच्चे माल की खपत कर रही हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि ऐसा कोई भी संशोधन केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का होने के कारण लागू होता है।

सभी संस्थाओं को समान रूप से और मूल अधिसूचना की तारीख से छूट प्रदान करना। रिलायंस को भारत संघ और ए. एन. आर. के मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है। आदि। आदि। बनाम। वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य, आदि। आदि. (ऊपर) और बेंगलुरु विकास प्राधिकरण बनाम। सुधाकर हेगड़े और ओआरएस। , (2020) 15 एस. सी. सी. 63 (पैरा 32 से 35)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण कि अधिसूचना दिनांक 14.11.2000 केवल ऐसी इकाइयों पर लागू होगी, जो 14.11.2000 के बाद स्थापित हो जाती हैं, अस्थिर है और इस न्यायालय द्वारा उलट दिए जाने के योग्य है। 3.11 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आगे संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित 16.01.2002 को भी छूट का लाभ उठाने के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद की प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित 16.01.2002 को कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित 05.03.1992 में प्रदान किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने वचन रद्द करने के सिद्धांत को लागू करने में गलती की है कि बाद की अधिसूचनाओं द्वारा प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के तहत छूट का लाभ नहीं लिया जा सकता है।

3.12 राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने भी

यह देखने में गलती की गई कि 1992 की अधिसूचना के तहत छूट के लाभ से इनकार करने के परिणामस्वरूप प्रतिवादी को इनकार कर दिया जाएगा-उपयोग करने की ई. एस. एल. सुविधा

ई. पी. एल. द्वारा उत्पादित बिजली। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय का उक्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत और अस्थिर है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी कर छूट [2022] 12 एस. सी. आर.

सरकार द्वारा एक वैधानिक प्रावधान के तहत एक रियायत है, जो

सरकार के खिलाफ कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार पैदा नहीं करता है और सरकार को हमेशा उक्त छूट को बदलने या वापस लेने का अधिकार है और इस संबंध में वचन रद्द करने के सिद्धांत की कोई प्रयोज्यता नहीं होगी। भारत संघ और ए. एन. आर. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भारी निर्भरता रखी गई है। आदि। आदि। बनाम। वी. वी. एफ. लिमिटेड और अन्य, आदि। (उपर्युक्त) (पैरा 40 से 45) और कोठारी औद्योगिक निगम के मामले में इस न्यायालय का एक अन्य निर्णय। लिमिटेड बनाम तमिलनाडु विद्युत बोर्ड और ए. एन. आर. , (2016) 4 एस. सी. सी. 134 (पैरा 10 से 14)। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निष्कर्ष कि प्रतिवादी-ई. एस. एल. को मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के तहत छूट से इनकार करना प्रतिवादी-ई. एस. एल. को ई. पी. एल. द्वारा उत्पन्न बिजली का उपयोग करने की सुविधा से इनकार करना होगा, बिल्कुल गलत है और टिकाऊ नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी-निर्धारिती-ई. एस. एल. और ई. पी. एल. के बीच की व्यवस्था का प्रत्यर्थी-निर्धारिती के अपने कर दायित्व को पूरा करने के दायित्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा वर्तमान मामले में, पात्र इकाई-ई. एस. एल. द्वारा खरीदे गए कच्चे माल-नाफ्था और प्राकृतिक गैस का उपयोग एस्सार स्टील द्वारा अपनी इकाइयों में किया जाना आवश्यक था, ई. एस. एल. ने इसे ई. पी. एल. को बेच दिया और ई. पी. एल. ने बिजली उत्पादन के लिए उक्त कच्चे माल का उपयोग किया, जो बिजली खरीद समझौते के तहत ई. एस. एल. को बेचा गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि यहाँ ऊपर प्रस्तुत किया गया है,

बिजली उत्पादन कंपनियों को 'पात्र नहीं' सूची में रखा गया था और इसलिए, ई. पी. एल. मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के तहत छूट के लिए पात्र नहीं था और इस प्रकार, परिपथ के माध्यम से कार्यप्रणाली या कार्यप्रणाली, ई. पी. एल. को 'पात्र नहीं' होने के बावजूद छूट का लाभ मिला।

3.13 वैकल्पिक रूप से, यह राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि यह मानते हुए कि 14.11.2000 और 16.01.2002 की अधिसूचनाओं के माध्यम से जारी की गई बाद की संशोधित प्रविष्टि संख्या 255 (2) को लागू नहीं किया जाना है, जो उच्च न्यायालय के अनुसार वचन रद्द करने के सिद्धांत से प्रभावित था, उस मामले में भी, प्रतिवादी-निर्धारिती-ई. एस. एल. को उन सभी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता थी, जो मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 में प्रदान की गई हैं, जिन्हें ई. एस. एल. पूरा करने/पूरा करने में विफल रहा।

3.14 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कराधान के क्षेत्र में, प्रत्येक निर्धारण वर्ष एक स्वतंत्र वर्ष है और केवल इसलिए कि पूर्व में

मूल्यांकन वर्षों में, कुछ लाभ, हालांकि उपलब्ध नहीं थे, गलत तरीके से गुजरात बनाम का राज्य था।

दिए जाने पर, बाद के मूल्यांकन वर्षों में इसे ठीक किया जा सकता है।

और कानून के अनुसार कर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, यह कहा जा सकता है कि हालांकि शुरू से ही, ईएसएल ने मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 में प्रदान की गई आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया, फिर भी उन्हें 2000 से पहले की अवधि के लिए छूट लाभ गलती से मिला। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कर लगाने के राज्य के अधिकार को नहीं छीनता है, जो अन्यथा कानून के तहत अनुमेय है और जो कानून के अनुसार लगाया जाता है।

3.15 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, विचार करते हुए

ई. एस. एल. और ई. पी. एल. द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली और छूट अधिसूचना की स्पष्ट और स्पष्ट शर्तों से पूरी तरह से अवगत होने के बावजूद और बिजली उत्पादक कंपनियों के बावजूद विशेष रूप से छूट का लाभ उठाने के लिए 'अयोग्य' बना दिया गया और इस तथ्य के बावजूद कि मूल प्रविष्टि में प्रदान की गई शर्तों के अनुसार, कच्चे माल नाफ्था और प्राकृतिक गैस का उपयोग निर्धारिती द्वारा किया जाना आवश्यक था

-

ई. एस. एल. की अपनी इकाई में, कच्चा माल एक 'अयोग्य' इकाई-ई. पी. एल. को बेचा गया और 'अयोग्य इकाई' को अप्रत्यक्ष रूप से/सीधे छूट का लाभ मिला, हालांकि वह हकदार नहीं था और/या पात्र था और उसने उक्त कच्चे माल का उपयोग अपनी इकाई में बिजली उत्पादन के लिए किया, प्रतिवादी-निर्धारिती धारा 45 (5) के संदर्भ में जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए जुर्माने को दरकिनार करते हुए संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश भी रद्द किए जाने और दरकिनार किए जाने के योग्य हैं।

3.16 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और उपरोक्त पर भरोसा करना

निर्णय, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए।

4. श्री रितिन राय ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया है।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

-

मूल्यांकनकर्ता।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी को पहले के रूप में नामित किया गया था

एस्सार स्टील लिमिटेड, जिसे बाद में एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड (ई. एस. आई. एल.) में बदल दिया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड को आई. डी. 1 पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ("आई. बी. सी".) के तहत दिवालिया घोषित किया गया था और आर्सेलर

मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ई. एस. आई. एल. के लिए एक समाधान योजना की मंजूरी में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसे इस अदालत ने एस्सार [2022] 12 एस. सी. आर. के लेनदारों की समिति में अपने फैसले और आदेश के माध्यम से बरकरार रखा है।

स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य। , (2020) 8 एससीसी 531)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसी के अनुसार, प्रतिवादी-एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी अब आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास निहित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में भी ई. एस. आई. एल. का नाम बदलकर आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है।

4.2 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राय द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में समवर्ती हैं मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्कर्ष-इसके द्वारा प्रतिवादी

प्रत्यर्थी और तदनुसार जुर्माना लगाने का सवाल ही नहीं उठेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी प्रत्यर्थी की ओर से कोई दुर्भावना साबित नहीं होने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। 4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी ने दिनांकित 07.05.1986 प्रस्ताव के अनुसार अपनी पहली इकाई (इकाई संख्या 1) में योग्य निवेश किया है।

गुजरात सरकार के उद्योग, खान और ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किया गया, और इसलिए, पात्र अवधि के दौरान प्रोत्साहन प्राप्त करने के हकदार के रूप में प्रमाणित किया गया था 01.08.1990 से 31.07.2004 रुपये की ऊपरी मौद्रिक सीमा तक। 237.59 करोड़। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार,

इकाई संख्या 1 में किए गए निवेश ने एच. बी. आई. का निर्माण शुरू किया, जिसके लिए गुजरात बिक्री कर अधिनियम, 1969 की धारा 49 (2) के तहत गुजरात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की प्रविष्टि 118 के तहत बिक्री कर छूट प्रोत्साहन स्वीकार्य थे।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 26.07.1991 पर, गुजरात राज्य

मुख्य क्षेत्र के उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के लिए "प्रतिष्ठित इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना, 1990-95 (संशोधित)" के रूप में जानी जाने वाली एक योजना की घोषणा की गई। उपरोक्त योजना के अनुसार, प्रत्यर्थी ने अपनी दूसरी इकाई (इकाई संख्या 2) में एच. आर. सी. के निर्माण के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया और वह पात्र अवधि के दौरान 22.02.1993 से 21.02.2007 तक प्रोत्साहन पाने का हकदार था। 2050 करोड़। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक योग्य इकाई के रूप में इकाई संख्या 2 के लिए, प्रतिवादी गुजरात राज्य v का हकदार था।

200 मेगावाट तक का बिजली संयंत्र, लेकिन अपीलकर्ता राज्य की आवश्यकता के कारण, एक अलग बिजली संयंत्र एस्सार पावर लिमिटेड द्वारा चालू किया गया था, जो पूर्ववर्ती एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की एक समूह कंपनी थी। इसे प्रस्तुत किया जाता है। कि इकाई संख्या 2 के चालू होने पर, प्रतिवादी-एस्सार स्टील लिमिटेड द्वारा फॉर्म No.26 में घोषणाओं के विरुद्ध खरीदी गई प्राकृतिक गैस और नाफ्था को एस्सार पावर लिमिटेड के माध्यम से बिजली में परिवर्तित कर दिया गया और औद्योगिक इकाई में एचआरसी के निर्माण के उद्देश्य से एक इनपुट के रूप में उपयोग किया गया

प्रतिवादी का-ई. एस. एल.। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह नौकरी-कार्य व्यवस्था की प्रकृति और 1994-95 से सभी आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद किया गया था।

4.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी मूल प्रविष्टि No.255 (2)/मूल अधिसूचना दिनांक 05.03.1992to सीक के तहत विधिवत पात्र था/है। क्रय कर के भुगतान से छूट। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिक्री कर आयुक्त ने भी अपने पहले के आदेश दिनांक 16.8.2002 में और उसके बाद निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन वर्षों 1995-1996 से 1997-1998 और 2000-2001 के लिए मूल्यांकन आदेशों में प्रत्यर्थी-एस्सार स्टील लिमिटेड को मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के तहत छूट प्राप्त करने की अनुमति दी और/या अनुमति दी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए भी

न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि प्रतिवादी एस्सार स्टील लिमिटेड मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के अनुसार खरीद कर के भुगतान से छूट का हकदार था/है।

4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार और यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित, प्रतिवादी-ई. एस. एल. निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

14.11.2000 से पहले के मूल्यांकन वर्षों के लिए मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित 05.03.1992। 4.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी-ई. एस. एल. ने पहली/मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए आवश्यक सभी पात्रता मानदंडों/शर्तों को पूरा/अनुपालन किया है।

प्रस्तुत किया कि पहली/मूल अधिसूचना के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड यह था कि इस तरह से खरीदे गए सामान का उपयोग इकाई में और गुजरात राज्य के भीतर कहीं भी किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहली/मूल अधिसूचना में उल्लिखित शर्तें पात्र इकाई में माल के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करती हैं, लेकिन इसके विपरीत, यह गुजरात राज्य के भीतर कहीं भी उपयोग के लिए प्रावधान करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि शर्त संख्या 6 के अनुसार भी, पात्र इकाई को वास्तव में उपयोग करने की अनुमति दी गई थी

गुजरात राज्य के भीतर कच्चे माल के रूप में खरीदी गई वस्तुएँ।

4.9 इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब माल को एस्सार पावर लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया था, जो गुजरात राज्य के भीतर स्थित है।

बिजली में परिवर्तन, नौकरी-कार्य के आधार पर और इस तरह से उत्पन्न बिजली का उपयोग प्रतिवादी द्वारा माल के निर्माण में किया गया था-एस्सार स्टील, पहली/मूल अधिसूचना में निर्धारित शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट थीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहली/मूल अधिसूचना के तहत योजना की परिकल्पना कभी भी उसी रूप में माल के उपयोग के लिए नहीं की गई थी जिसमें उन्हें खरीदा गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, नाफ्था और खरीदी गई प्राकृतिक गैस का उपयोग इकाई संख्या 2 में बिजली के रूप में किया गया था और इसलिए, फॉर्म No.26 में दी गई घोषणाओं का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

इन वस्तुओं की खरीद के लिए।

अपीलार्थी-राज्य ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, न ही उन्होंने दूसरी अधिसूचना से पहले कोई कर देयता लगाई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बल्कि वीडियो बिक्री कर आयुक्त द्वारा जारी 16.08.2002 दिनांकित पत्र, अपीलार्थी-राज्य ने पुष्टि की कि प्रतिवादी द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, एक बार इकाई संख्या 2 को मूल अधिसूचना के तहत योग्य पाया गया, जब तक कि उसने अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं किया, उसे पहली/मूल अधिसूचना के तहत छूट दी जानी चाहिए थी।

4.12 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य की ओर से यह कभी भी मामला नहीं था कि प्रतिवादी पहली/मूल अधिसूचना का उल्लंघन कर रहा था। इसने केवल यह आरोप लगाया कि दूसरे के तहत प्रतिस्थापित शर्तें

अधिसूचना का उल्लंघन किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए यह आकलन करना अनिवार्य है कि क्या दूसरी और तीसरी अधिसूचनाएं प्रतिवादी-एस्सार स्टील लिमिटेड पर बिल्कुल भी लागू थीं।

4.13 यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी स्थिति में पहली/मूल अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि "यदि पात्र इकाई निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है इसके तहत और आगे की शर्तें जो समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जबकि अपीलकर्ता राज्य पहली/मूल अधिसूचना के तहत प्रदान की गई शर्तों में और जोड़ सकता है, ऐसी अतिरिक्त शर्त मूल स्थिति को बदलने/संशोधित करने के लिए प्रभावी नहीं हो सकती है, अर्थात, माल का उपयोग गुजरात राज्य के भीतर किया जाना है।

4.14 यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरी अधिसूचना द्वारा, मूल पात्रता शर्त में संशोधन किया गया था और इसके भीतर उपयोग की आवश्यकता थी

4.17 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि तीसरी अधिसूचना जिसके द्वारा मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992came में संशोधन किया जाना है, आगे बशर्ते कि पात्र इकाई [2022] 12 एस. सी. आर. पर खरीद कर से छूट का दावा कर सकती है।

माल की खरीद भले ही माल का उपयोग कच्चे माल, पैकिंग सामग्री, अपनी औद्योगिक इकाई में उपभोग्य भंडार के रूप में किया जाता है, जिसके लिए उसने गुजरात राज्य के भीतर स्थित अपनी किसी अन्य इकाई या प्रभाग में प्रेषण के लिए माल के निर्माण के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया था ताकि ऐसी किसी अन्य इकाई या प्रभाग द्वारा बिक्री के लिए किसी अन्य वस्तु के निर्माण में उपयोग किया जा सके।

या राज्य के बाहर स्थित ऐसी किसी अन्य इकाई या प्रभाग को ऐसी अन्य इकाई द्वारा बिक्री के लिए अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग के लिए।

4.18 यह प्रस्तुत किया जाता है कि योजना और शुरू में अधिनियमित पहली अधिसूचना ने प्राकृतिक गैस और नाफ्था के उपयोग की अनुमति दी

पिछले वर्षों में। इसी तरह, तीसरी अधिसूचना के माध्यम से किए गए संशोधन इकाई में माल के निर्माण में, अन्य इकाई में हस्तांतरण के लिए, गुजरात राज्य के भीतर या यहां तक कि बाहर अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग के लिए खरीदी गई वस्तुओं के उपयोग की अनुमति दें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, संशोधन के अनुसार, गुजरात राज्य के भीतर या बाहर अन्य इकाइयों में भी माल का उपयोग करने की अनुमति है।

4.19 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब अधिसूचना शुरू में 05.03.1992 पर अधिनियमित की गई थी और तीसरी अधिसूचना के माध्यम से संशोधित की गई थी।

16.01.2002 इकाई के बाहर वस्तुओं के उपयोग की अनुमति देते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल 14.11.2000 से 15.01.2002 के बीच की छोटी अवधि के लिए, सरकार का उपयोग पूरी तरह से केवल योग्य इकाई में प्रतिबंधित करने का अलग-अलग इरादा था और योजना के तहत शर्तें जो 14 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन देती थीं, उन्हें वार्षिक आधार पर बदला जाएगा।

4.20 यह प्रस्तुत किया जाता है कि योजना में कभी भी उसी रूप में माल के उपयोग की परिकल्पना या प्रावधान नहीं किया गया था जिसमें उन्हें खरीदा गया था, और

4.21 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा मूल पात्रता शर्त में किया गया कोई भी संशोधन संभावित प्रकृति का होगा और केवल नई औद्योगिक इकाइयों/संस्थाओं पर लागू होगा जो 14.11.2000 के बाद पात्र हो जाएंगे। संशोधित अधिसूचना उन उद्योगों पर लागू नहीं होगी जो पहली अधिसूचना के अनुसार स्थापित किए गए थे और पहली अधिसूचना के तहत पात्र थे और जिनके अधिकार पहली अधिसूचना के तहत 14 वर्षों से स्पष्ट थे। 4.22 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी-एस्सार स्टील ने प्रपत्र संख्या 26 में दी गई घोषणाओं का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस और नाफ्था का उपयोग किया जाता था

ई. पी. एल. के माध्यम से, जिसका अंततः पात्र इकाई में उपयोग किया गया था, प्रतिवादी-ई. एस. एल. को दी गई शर्तों का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है। 4.23 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह मानते हुए भी कि दूसरी और तीसरी अधिसूचनाएं प्रतिवादी-ई. एस. एल. पर लागू थीं, संशोधित शर्त में इकाई में खरीदे गए सामान के "सीधे" उपयोग की आवश्यकता नहीं है और इसलिए तब भी जब प्राकृतिक गैस/नाफ्था में परिवर्तन के बाद भी।

इकाई में बिजली का उपयोग किया जाता है, स्थिति संतुष्ट होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण दोनों द्वारा तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष हैं कि प्रतिवादी द्वारा खरीदे गए ईंधन का कोई मोड़ नहीं है ई. एस. एल. को एक रियायती दर दी गई थी, और यह ई. पी. एल. को केवल बिजली में परिवर्तन के लिए एक सीमित उद्देश्य के लिए दी गई थी और उसके बाद प्रतिवादी-एस्सार स्टील द्वारा अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में इसका उपयोग किया गया था।

4.25 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने अपनी इकाई संख्या 2 में एच. आर. सी. के निर्माण के लिए Rs.5000 करोड़ की राशि का निवेश किया। अपीलार्थी द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन-राज्य। योजना में दिए गए उक्त प्रोत्साहन और पहली अधिसूचना में एक शर्त लगाई गई है कि पात्र संस्था द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग उसके द्वारा योजना के अंतर्गत किया जाएगा।

पात्र संस्था द्वारा बेचे जाने वाले माल के निर्माण में कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री या उपभोग्य भंडार के रूप में गुजरात राज्य। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए इसके बाद राज्य को संशोधन करने से हटा दिया जाता है। प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्यर्थी ने राज्य के इस आश्वासन पर कार्य किया कि जब तक वह शर्तों को पूरा करता है, तब तक वह योजना के तहत एक निश्चित समय के लिए छूट प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

इकाई संख्या 2 में निवेश और विभिन्न समझौतों में प्रवेश करके बिजली की आपूर्ति के लिए एस्सार पावर लिमिटेड के साथ एक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए माननीय उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी के स्पष्टीकृत अधिकारों को मान्यता देने के लिए साक्ष्य के नियम के रूप में वचन बहिष्कार के सिद्धांत को लागू करने में सही थे।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.27 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी किसी भी मामले में

प्रत्यर्थी पर राज्य द्वारा जुर्माना लगाना अवैध है और कानून में बिना किसी आधार के। यह प्रस्तुत किया जाता है कि (ए) प्रतिवादी ने पहली अधिसूचना में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है; (बी) दूसरी और तीसरी अधिसूचनाएं प्रतिवादी पर लागू नहीं होती हैं और; (सी)

यह मानते हुए भी कि दूसरी और तीसरी अधिसूचनाएं प्रत्यर्थी पर लागू होती हैं, प्रत्यर्थी द्वारा उसमें शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है, जुर्माना लगाने का सवाल ही नहीं उठेगा।

विवाद के आसपास मनमाना, अन्यायपूर्ण और अवैध है, और इसलिए न्यायाधिकरण के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय ने जुर्माना लगाने को सही ढंग से रद्द कर दिया है।

4.29 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि जुर्माना लगाना एक अर्ध-आपराधिक का परिणाम है।

न्यायनिर्णयन। रिलायंस को हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है। बनाम उड़ीसा राज्य, (1969) 2 एस. सी. सी. 627 और एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और ए. एन. आर. , (2017) 8 एससीसी 47।

4.30 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रत्यर्थी को एक वास्तविक प्रामाणिक विश्वास था कि वह प्रपत्र संख्या 26 में की गई घोषणा के आधार पर पहली अधिसूचना के तहत छूट का दावा करने के योग्य था और यह कि संशोधित अधिसूचनाएं शासित नहीं होंगी। चूंकि प्रतिवादी को एक निश्चित अवधि के लिए योजना के तहत प्रोत्साहन का आश्वासन दिया गया था और प्रोत्साहन के इस तरह के विश्वास को बिक्री कर आयुक्त द्वारा जारी दिनांक 1 के पत्र द्वारा भी बरकरार रखा गया था, जिसमें पुष्टि की गई थी कि प्रतिवादी द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और यह कि राज्य ने दुर्भावनापूर्ण इरादे या प्रतिवादी द्वारा वैधानिक प्रावधानों के जानबूझकर और जानबूझकर उल्लंघन का मामला नहीं बनाया है, इसलिए जुर्माना लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

4.31 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, इसने वर्तमान को खारिज करने का अनुरोध किया

अपील करें।

5. संबंधित पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील को सुना

लंबाई में।

6. वे प्रश्न जो इस न्यायालय के विचारार्थ रखे गए हैं।

वर्तमान अपीलों में ये हैं:

((i)

चाहे प्रत्यर्थी-विक्रेता-निर्धारिती-एस्सार स्टील लिमिटेड।

मूल प्रविष्टि No.255 (2) के अनुसार खरीद कर एफ. डी. की अधिसूचना दिनांक 05.03.1992 देखें?

क्या बाद में संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) जारी की गई है

((ख)

किसी भी तरह से दिनांकित 14.11.2000 और 16.01.2002 अधिसूचनाएँ

निर्धारित बुनियादी आवश्यकताओं/शर्तों में बदलाव या संशोधन करता है।

पहली अधिसूचना दिनांक 05.03.1992 के अनुसार?

(iii)

क्या सरकार के माध्यम से बाद की संशोधित प्रविष्टि

किसी भी तरह से दिनांकित 14.11.2000 और 16.01.2002 अधिसूचनाएँ

छूट का लाभ उठाने का प्रत्यर्थी का अधिकार छीन लेता है

प्रथम/मूल प्रविष्टि No.255 (2) के तहत जारी किया गया अधिसूचना दिनांक 05.03.1992?

((iv) क्या उनके द्वारा दायर की गई घोषणा का कोई उल्लंघन हुआ था।

प्रपत्र No.26 के अनुसार प्रतिवादी?

चाहे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में,

(v)

14.11.2000 पर और उसके बाद खरीद कर की मांग की गई थी

प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत से प्रभावित?

7. उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देते समय, मूल प्रविष्टि

55 (2) अधिसूचना दिनांक 05.03.1992 और उसके बाद

प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित 14.11.2000 अधिसूचना द्वारा संशोधित

6.01.2002 और में उल्लिखित शर्तें/पात्रता मानदंड

अधिसूचनाओं को संदर्भित करने की आवश्यकता होती है, जो निम्नानुसार हैं:

1. एफ. डी. की अधिसूचना दिनांकित मूल प्रविष्टि No.255 (2)

05.03.1992 .

शर्तें

बिक्री का वर्ग

आरवाई

ख़रीदारी

2) बिक्री या कच्चा माल, (1) यदि पात्र इकाई बिक्री के लिए प्रस्तुत करती है।

विक्रेता फॉर्म 26 में एक प्रमाण पत्र संलग्न करता है

प्रसंस्करण सामग्री,

यहाँ अन्य बातों के साथ यह घोषणा करते हुए कि माल

उपभोग्य दुकानें या

राज्य के भीतर उसके द्वारा उपयोग के लिए आवश्यक हैं

ए द्वारा पैकिंग सामग्री

पंजीकृत विक्रेता

गुजरात का कच्चा माल, प्रसंस्करण के रूप में

योग्य इकाई।

में सामग्री या उपभोग्य भंडार

गुजरात राज्य के भीतर बिक्री के लिए माल का निर्माण या इस तरह से निर्मित माल की पैकिंग में पैकिंग सामग्री के रूप में।

(2) यदि पात्र इकाई इसके तहत निर्दिष्ट शर्तों और आगे की शर्तों को पूरा करती है

जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शर्तें:

6. पात्र इकाई वास्तव में भीतर खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग करेगी।

गुजरात राज्य कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री के रूप में या

बिक्री के लिए वस्तुओं के निर्माण में उपभोग्य भंडार

गुजरात राज्य या गुजरात राज्य के बाहर या पैकिंग के रूप में

इस प्रकार निर्मित माल की पैकिंग में सामग्री।

2. सरकार द्वारा प्रविष्टि No.255 (2) में संशोधन अधिसूचना दिनांक 14.11.2000

बिक्री का वर्ग

शर्तें

प्रविष्टि

नहीं।

ख़रीदारी

255 (2)

बिक्री या कच्चा माल,

(1) यदि पात्र इकाई विक्रेता को एफ. ओ. एम. 26 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है।

प्रसंस्करण सामग्री,

यहाँ और पंजीकरण से प्राप्त

उपभोग्य दुकानें या

प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ घोषणा करते हुए कि

ए द्वारा पैकिंग सामग्री

माल का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाएगा।

पंजीकृत विक्रेता योग्य इकाई।

माल की पैकिंग में सामग्री इसलिए निर्मित।

शर्तें:

6. पात्र इकाई वास्तव में खरीदे गए माल का उपयोग कच्चे माल के रूप में करेगी।

अपने औद्योगिक क्षेत्र में सामग्री, प्रसंस्करण सामग्री या उपभोग्य भंडार

इकाई जिसके लिए उसने पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है

गुजरात राज्य के भीतर या बाहर बिक्री के लिए वस्तुओं का निर्माण

गुजरात राज्य, या पैकिंग में पैकिंग सामग्री के रूप में

इस प्रकार निर्मित वस्तुएँ।

प्राप्त किया गया है "प्रतिस्थापित किया गया है।

3. सरकार द्वारा प्रविष्टि No.255 (2) में संशोधन

अधिसूचना दिनांक 16.01.2002।

की बिक्री

शर्तें

वर्ग

आरवाई

ख़रीदारी

) .2) बिक्री या कच्चा माल, (1) शर्त के बाद स्थिति का सम्मिलन (आई. ए.)

प्रसंस्करण

सामग्री,

(I) या

उपभोग्य दुकानें या

ए द्वारा पैकिंग सामग्री

(आई. ए.) यदि पात्र इकाई विक्रेता को फॉर्म 26 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है।

पंजीकृत विक्रेता

यहाँ और पंजीकरण से प्राप्त

योग्य इकाई।

प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा करते हुए कि माल इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाएगा,

प्रसंस्करण सामग्री या उपभोग्य भंडार

अपनी औद्योगिक इकाई में जिसके लिए उसने पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया, में

उसे भेजने के लिए माल का निर्माण

के भीतर स्थित एक अन्य इकाई या प्रभाग दूसरे के निर्माण में उपयोग के लिए राज्य

ऐसी किसी अन्य इकाई द्वारा बिक्री के लिए माल या

में उपयोग के लिए राज्य के बाहर स्थित अन्य वस्तुओं का निर्माण।

(ख) शर्त 6 के बाद स्थिति 6 (ए) का सम्मिलन (6(क) पात्र इकाई वास्तव में इस प्रकार खरीदे गए माल का उपयोग करेगी।

कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री या उपभोग्य भंडार के रूप में औद्योगिक इकाई जिसके लिए उसने पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है,

माल का निर्माण, जिसे दूसरे स्थान पर भेजा जाता है

निर्माण में उपयोग के लिए राज्य के भीतर स्थित इकाई या प्रभाग ऐसी किसी अन्य इकाई या प्रभाग द्वारा या उसके द्वारा बिक्री के लिए अन्य वस्तुओं का

अन्य वस्तुओं का निर्माण। 8. 1992 में लागू फॉर्म No.26 निम्नानुसार है:

" फॉर्म-26 [प्रविष्टि 255]

एक योग्य इकाई द्वारा खरीद प्रमाण पत्र, उपयोग के लिए सामान

विनिर्माण वस्तुएँ।

[सरकारी अधिसूचना द्वारा अंतःस्थापित क्रम No.255 पर प्रविष्टि देखें,

वित्त विभाग नं. (जीएचएन-8) जीएसटी-1092/(एस. 49)-(249)-टीएच गुजरात की धारा 49 (2) के तहत जारी किया गया दिनांक 5 मार्च, 1992

बिक्री कर अधिनियम, 1969]

पता

एम/एस।

आई,

उक्त आई/को प्रमाणित करें

के रूप में/एक पंजीकृत विक्रेता है

और रखने के लिए भी

पंजीकरण का प्रमाण पत्र सं।

दिनांक [2022]

12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांकित

द्वारा प्रदत्त

एक प्रमाण पत्र सं।

बिक्री कर आयुक्त, गुजरात राज्य, सरकारी अधिसूचना सं। (जी. एच. एन.-8) जी. एस. टी.-1092 (एस. 49)-(249) टी. एच., दिनांक 5 मार्च, 1992 और यह कि माल कच्चा माल है, बिल/नकद ज्ञापन/चालान संख्या में उल्लिखित प्रसंस्करण सामग्री।

दिनांकित

एम/एस का

मेरे द्वारा उपयोग किया जाएगा/कहा गया

बिक्री के लिए माल के निर्माण में या पैकिंग में

बिल/नकद ज्ञापन/चालान सं. में उल्लिखित सामग्री।

दिनांकित

पैकिंग में उपयोग किया जाएगा

एम/एस।

मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त प्रमाण पत्र माल की उपरोक्त खरीद की तारीख से लागू था। स्थानः

हस्ताक्षरः

स्थितिः "

तारीखः

9. फॉर्म-26 (प्रविष्टि No.255) जैसा कि बाद के वर्षों 2000/2002 में लागू होता है।

अंतिम प्रविष्टि No.255 (2) अधिसूचना दिनांक 14.11.2000 के माध्यम से और

. 2002 यह नीचे लिखा हैः

" फॉर्म-26 [प्रविष्टि 255]

वित्त विभाग नं. (जीएचएन-8) जीएसटी-1092/(एस. 49)-(249)-टीएच गुजरात की धारा 49 (2) के तहत जारी किया गया दिनांक 5 मार्च, 1992

बिक्री कर अधिनियम, 1969]

एम/एस।

पता

आई,

उक्त आई/को प्रमाणित करें

के रूप में/एक पंजीकृत विक्रेता है

और रखने के लिए

भी

पंजीकरण का प्रमाण पत्र सं।

दिनांकित

द्वारा प्रदत्त

दिनांकित

एक प्रमाण पत्र सं। बिक्री कर आयुक्त, सरकार के अधीन गुजरात राज्य अधिसूचना सं। (जी. एच. एन.-8) जी. एस. टी.-1092 (एस. 49)-(249) टी. एच., दिनांक 5 मार्च, 1992 और यह कि माल कच्चा माल है, गुजरात के ए. टी. ई. का प्रसंस्करण बनाम।

आर्केलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

बिल/नकद ज्ञापन/चालान संख्या में उल्लिखित सामग्री।

दिनांकित

मेरे द्वारा उपयोग किया जाएगा/कहा गया

एम/एस का

(1) [औद्योगिक इकाई में जिसके लिए पात्रता प्रमाण पत्र

(2) बिक्री के लिए माल के निर्माण में या (2) (2) (2)

((i)

विक्रेता प्रपत्र No.26 में एक प्रमाण पत्र जो अन्य बातों के साथ घोषणा करता है कि

राज्य के भीतर उसके द्वारा उपयोग के लिए माल की आवश्यकता होती है

गुजरात कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री के रूप में या

बिक्री के लिए वस्तुओं के निर्माण में उपभोग्य भंडार

गुजरात राज्य के भीतर या पैकिंग में पैकिंग सामग्री के रूप में इस प्रकार निर्मित वस्तुओं का; और

कि पात्र इकाई वास्तव में खरीदे गए माल का उपयोग करेगी

((ख)

गुजरात राज्य के भीतर कच्चे माल के रूप में, प्रसंस्करण वस्तुओं के निर्माण में सामग्री या उपभोग्य भंडार [2022] 12 एस. सी. आर.

गुजरात राज्य के भीतर या गुजरात राज्य के बाहर माल की पैकिंग के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में बिक्री के लिए इस तरह से निर्मित।

10.1 इसलिए, केवल ऐसे मामले में जहां कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री या उपभोग्य भंडार का उपयोग पात्र इकाई द्वारा किया जाता है और

पात्र इकाई वास्तव में गुजरात राज्य के भीतर खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग वस्तुओं के निर्माण में कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री या उपभोग्य भंडार के रूप में करती है, इसके भुगतान से छूट होगी - उक्त प्रविष्टि में दी गई सीमा तक खरीद कर/बिक्री कर।

11. वर्तमान मामले में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि फॉर्म No.26 में एक घोषणा प्रस्तुत करने के बाद, माल-कच्चा माल, प्रसंस्करण

इस प्रकार खरीदी गई सामग्री या उपभोग्य भंडार का उपयोग ई. एस. एल. द्वारा किया जाना था, लेकिन प्रतिवादी-ई. एस. एल. कच्चे माल-नाफ्था और प्राकृतिक गैस की खरीद के बाद और भुगतान से छूट का लाभ उठाने के बाद।

क्रय कर ने स्वयं इसका उपयोग नहीं किया, बल्कि, इसके बजाय, इसे किसी अन्य इकाई-ई. पी. एल. और उक्त अन्य इकाई-ई. पी. एल. ने बिजली पैदा करने के लिए उक्त कच्चे माल का उपयोग किया, जो बाद में बिजली खरीद समझौते के अनुसार प्रतिवादी-ई. एस. एल. को बेचा गया। प्रत्यर्थी की ओर से यह निवेदन कि नाफ्था और प्राकृतिक गैस को बिजली पैदा करने के लिए ई. पी. एल. को हस्तांतरित किया गया था,

जो बदले में प्रत्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाने लगा-ई. एस. एल. एच. आर. सी. के निर्माण के लिए, और यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

11.1 मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 में यह प्रावधान नहीं है कि कच्चा माल खरीदने के बाद पात्र इकाई स्वयं या स्वयं उपयोग करने के बजाय दूसरी इकाई को हस्तांतरित/बेच सकती है और दूसरी इकाई उक्त कच्चे माल का उपयोग कर सकती है। यदि प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतिकरण स्वीकार किया जाता है, तो उस मामले में, यह मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित 05.03.1992 में लगाई गई शर्तों को बदल देगा और यह छूट अधिसूचना/मूल प्रविष्टि में प्रदान नहीं की गई चीज़ से कुछ अधिक जोड़ने के समान होगा, जो अनुमेय नहीं है। मूल अधिसूचना किसी अन्य इकाई के उपयोग के लिए छूट का लाभ उठाने के बाद कच्चे माल के इस तरह के हस्तांतरण और उपयोग की अनुमति बिल्कुल नहीं देती है, जो अन्यथा प्रोत्साहन नीति के अनुसार किसी भी छूट का हकदार नहीं है।

12. इस स्तर पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रोत्साहन नीति के अनुसार, छूट का वास्तविक लाभ कुछ उद्योगों को उपलब्ध था 'योग्य' उद्योगों की सूची के अनुसार। बिजली उत्पादक कंपनियाँ स्टेट ऑफ़ गुजरात v.

कच्चे माल की खरीद पर बिक्री/खरीद कर से किसी भी छूट के लिए विशेष रूप से 'अयोग्य' उद्योगों की सूची में रखा गया था। इस प्रकार, एस्सार पावर लिमिटेड एक बिजली उत्पादक कंपनी होने के नाते कच्चे माल की खरीद पर बिक्री/खरीद कर से किसी भी तरह की छूट के लिए पात्र नहीं थी। इसलिए, ई. एस. एल. द्वारा ई. पी. एल. को कच्चे माल के इस तरह के हस्तांतरण और बिक्री से ई. पी. एल. को छूट का लाभ मिला, जो अन्यथा

एक बिजली उत्पादक कंपनी होने के नाते इस तरह की छूट के लिए पात्र नहीं थी।

13. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह प्रस्तुत करने में सही हैं कि यदि प्रतिवादी द्वारा दी गई ऐसी व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस मामले में, यह छूट के उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देगा और यह उन उद्योगों को अनुमति देगा, जो छूट के लिए पात्र हैं, केवल कच्चा माल खरीदने के लिए; उन्हें अपनी इकाइयों में निर्माण के लिए उपयोग नहीं करते हैं, और बस उन्हें अन्य इकाइयों में उपयोग और निर्माण के लिए प्रेषित करते हैं, भले ही ऐसी इकाइयां अधिसूचना के तहत छूट के लिए पात्र नहीं हैं।

14. इस प्रकार, छूट का लाभ उठाने के बाद पात्र इकाई-ई. एस. एल. द्वारा अन्य इकाई-ई. पी. एल. को नाफ्था और प्राकृतिक गैस का हस्तांतरण नाफ्था और प्राकृतिक गैस का उपयोग किए बिना खरीद कर का भुगतान

(कच्चा माल) उसके द्वारा इस प्रकार निर्मित माल के निर्माण के लिए अपने स्वयं के उपयोग के लिए, इसे मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शर्त का उल्लंघन कहा जा सकता है और यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी-एस्सार स्टील लिमिटेड। प्रपत्र No.26 में दी गई घोषणा का उल्लंघन किया। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि प्रत्यर्थी ने मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और प्रत्यर्थी ने उक्त प्रविष्टि में प्रदान की गई सभी शर्तों को पूरा किया है और यह कि मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 में प्रदान की गई किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

14.1 जबकि छूट अधिसूचना को उदारता से समझा जाना चाहिए, लाभार्थी को छूट के दायरे में आना चाहिए और इसे पूरा करना चाहिए

उसकी शर्तें। यदि ऐसी शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तो अधिसूचना के आवेदन का मुद्दा उत्पन्न नहीं होता है।

14.2 यह तय किया गया कानून है कि अधिसूचना को समग्र रूप से पढ़ना होगा। यदि अधिसूचना में निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, तो पार्टी उस अधिसूचना के लाभ का हकदार नहीं है। कर कानून में एक अपवाद और/या छूट देने वाले प्रावधान का अर्थ [2022] 12 एस. सी. आर. लगाया जाना चाहिए।

सख्ती से और यह अदालत के लिए खुला नहीं है कि वह औद्योगिक नीति और छूट अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों की अनदेखी करे। 14.3 छूट अधिसूचना का कड़ाई से अर्थ निकाला जाना चाहिए और विधायी इरादे के अनुसार अर्थ दिया जाना चाहिए। सांविधिक

छूट प्रदान करने वाले प्रावधानों की व्याख्या उनमें प्रयुक्त शब्दों के आलोक में की जानी चाहिए और वैधानिक प्रावधानों से कोई जोड़ या घटाव नहीं हो सकता है।

14.4 इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर निर्धारित कानून के अनुसार, कराधान कानून में, यह प्रावधान की सरल भाषा है जिसे

प्राथमिकता दी जाए, जहाँ भाषा सरल हो और परिभाषित अर्थ निर्धारित करने में सक्षम हो। प्रत्येक मामले में प्रावधान की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या केवल तभी दी जा सकती है जब वैधानिक प्रावधान में अस्पष्टता हो या यह बेतुके परिणामों का आरोप लगाता हो, जो वर्तमान मामले में नहीं पाया जाता है।

14.5 वर्तमान मामले में, प्रोत्साहन नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान करने का राज्य का इरादा छूट का लाभ देना था

क्रय कर के भुगतान से उद्योगों के विशिष्ट वर्ग को और विशेष रूप से, पात्र उद्योगों की सूची के अनुसार। अयोग्य उद्योगों में सूचीबद्ध उद्योगों के लिए छूट उपलब्ध नहीं थी। यह राज्य सरकार का इरादा कभी नहीं था जब यह तैयार किया गया था ई. पी. एल. जैसे बिजली उत्पादक उद्योगों जैसे 'अपात्र उद्योगों' को छूट का लाभ देने के लिए प्रोत्साहन नीति, जिन्हें 'अपात्र' उद्योगों की सूची में रखा गया था।

14.6 अब, जहाँ तक प्रत्यर्थी की ओर से यह निवेदन है कि किसी राजकोषीय क़ानून के प्रावधान में अस्पष्ट होने की स्थिति में, निर्धारिती के लिए अनुकूल निर्माण को अपनाया जाना चाहिए, उक्त सिद्धांत छूट अधिसूचना के निर्माण पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यह स्पष्ट और अस्पष्ट नहीं है। इस प्रकार, निर्धारिती को यह दिखाना होगा कि वह इसके दायरे में आता है

अधिसूचना। पात्रता खंड, यह अच्छी तरह से तय किया गया है, छूट अधिसूचना के संबंध में भाषा के अनुसार प्रभाव दिया जाना चाहिए और भाषा से विचलित होने वाले दायरे का विस्तार नहीं करना चाहिए। एक बड़ा अंतर है और

राजकोषीय कानून में प्रभार के प्रावधान और छूट अधिसूचना के बीच अंतर।

15. अब, अगला सवाल, जो इस न्यायालय के विचार के लिए रखा गया है, वह यह है कि क्या अधिसूचनाओं के माध्यम से बाद की संशोधित प्रविष्टियां

दिनांकित 14.11.2000 और 16.01.2002 को स्पष्टीकरणात्मक और/या गुजरात राज्य v कहा जा सकता है।

मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के तहत किसी भी अधिकार को हटा दें और/या बाद की अधिसूचनाएं मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए बुनियादी शर्तों को संशोधित/संशोधित करती हैं?

15.1 दिनांक 14.11.2000/संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) की दूसरी अधिसूचना को देखने के बाद, यह देखा जा सकता है कि यह प्रकृति में स्पष्ट है और मूल प्रविष्टि No.255 (2) में उल्लिखित बुनियादी पात्रता मानदंडों/शर्तों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाद की अधिसूचना में, "उसे" शब्द के बजाय, उपयोग किया गया शब्द "यह" है और यह विशेष रूप से है

यह स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग उसकी औद्योगिक इकाई में किया जाएगा, जिसके लिए उसने राज्य के भीतर या गुजरात राज्य के बाहर बिक्री के लिए माल के निर्माण के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है या इस प्रकार निर्मित माल की पैकिंग में पैकिंग सामग्री के रूप में किया है। यहां तक कि मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के अनुसार और इसमें संलग्न फॉर्म No.26 के अनुसार भी, पात्र इकाई को वास्तव में खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग करने की आवश्यकता थी। बाद की अधिसूचना में, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग पात्र इकाई द्वारा अपनी औद्योगिक इकाई में किया जाना है। इसलिए, मूल आवश्यकता कि पात्र इकाई को वास्तव में उसके द्वारा खरीदे गए ऐसे कच्चे माल का उपयोग करना है, किसी भी तरह से संशोधित और/या संशोधित नहीं है। इसके विपरीत, बाद की संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित 14.11.2000 को पात्रता के दायरे का विस्तार करने के लिए कहा जा सकता है। इससे पहले पात्र इकाई को वास्तव में गुजरात राज्य के भीतर खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग करने की आवश्यकता थी और बाद की संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 14.11.2000 के अनुसार भले ही ऐसी वस्तुओं का उपयोग गुजरात राज्य के बाहर किया जाता हो, उस मामले में भी ऐसी योग्य इकाई को छूट के लिए पात्र माना गया था। यहां तक कि संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 14.11.2000 में शर्त संख्या 6 के अनुसार, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि पात्र इकाई वास्तव में खरीदे गए सामान का उपयोग करेगी, जो पहली अधिसूचना में भी आवश्यकता थी। इसलिए, बाद में संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) देखें दिनांकित 14.11.2000 अधिसूचना को स्पष्टीकरणात्मक और/या पात्रता के दायरे का विस्तार करने वाला कहा जा सकता है, लेकिन किसी भी मामले में, इसे दिनांकित मूल प्रविष्टि No.255 (2) के तहत किसी भी अधिकार को छीनने वाला नहीं कहा जा सकता है।

05.03.1992 .

16. इसी तरह, तीसरी संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) दिनांकित 16.01.2002 को भी किसी भी उपलब्ध अधिकार को छीनने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के तहत। 16.1 यहां तक कि बाद की संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) को भी अधिसूचना दिनांक 16.01.2002 के माध्यम से [2022] 12 एस. सी. आर. के दायरे का विस्तार करने के लिए कहा जा सकता है।

किसी भी तरह से मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के तहत पात्र इकाई के लिए उपलब्ध अधिकारों को छीनना नहीं कहा जा सकता है। पात्रता मानदंड/शर्त कि पात्र इकाई "वास्तव में माल का उपयोग करेगी" उक्त संशोधित प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 16.01.2002 में भी समान है। इसलिए, बाद की अधिसूचनाओं/संशोधित प्रविष्टियों को किसी भी तरह से पहली/मूल अधिसूचना/प्रविष्टि No.255 (2) के साथ टकराव में नहीं कहा जा सकता है।

17. जैसा कि ऊपर देखा गया है, पहली/मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के तहत और यहां तक कि प्रस्तुत घोषणा के अनुसार भी।

प्रपत्र No.26 में, पात्र इकाई-प्रतिवादी-ई. एस. एल. की आवश्यकता थी वास्तव में उसके द्वारा/गुजरात राज्य के भीतर माल का उपयोग कच्चे माल के रूप में, उसके द्वारा माल के निर्माण के लिए किया जाता है। लेकिन वास्तव में कच्चे का उपयोग नहीं करके

अधिसूचना दिनांक 05.03.1992 मूल प्रविष्टि No.255 (2)। इसलिए, यह मानते हुए भी कि बाद की संशोधित प्रविष्टियाँ दूसरे और तीसरी अधिसूचना उस मामले में भी लागू नहीं की जानी चाहिए क्योंकि पात्र इकाई होने के नाते प्रत्यर्थी-एस्सार स्टील लिमिटेड को मूल प्रविष्टि No.255 (2) में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों/शर्तों का पालन करना और/या उन्हें पूरा करना आवश्यक था, जैसा कि ऊपर देखा गया है, वास्तव में कच्चे माल का स्वयं उपयोग नहीं करके और उसे गैर-योग्य इकाई को स्थानांतरित/बेचकर, प्रत्यर्थी लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं था।

मूल प्रविष्टि No.255 (2) के तहत भी छूट। 18. यहां तक कि प्रपत्र संख्या 26 (प्रविष्टि No.255) के अनुसार, प्रत्यर्थी द्वारा दायर घोषणा के अनुसार, सामान खरीदते समय 'योग्य' इकाई होने के कारण

विनिर्माण वस्तुओं में उपयोग, यह घोषित किया गया था कि इस प्रकार खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग बिक्री के लिए वस्तुओं के निर्माण में किया जाएगा। इस प्रकार, उसके द्वारा इस प्रकार खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग नहीं करके, प्रतिवादी

पात्र इकाई-ई. एस. एल. ने प्रपत्र No.26 में दी गई घोषणा का उल्लंघन किया है। इसलिए, प्रतिवादी पहली/मूल अधिसूचना के तहत भी छूट का हकदार नहीं था।

19. यहां तक कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क कि खरीद कर की मांग गुजरात राज्य के वचन के सिद्धांत से प्रभावित है।

बहिष्कार को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, सबसे पहले, मांगी गई छूट को रोकने के वचन का सिद्धांत बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाना चाहिए था। प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष/अवधि स्वतंत्र होती है। अन्यथा भी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रत्यर्पण का सिद्धांत लागू नहीं होगा। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रतिवादी-पात्र इकाई पहली अधिसूचना के तहत भी छूट का हकदार नहीं था क्योंकि उसने फॉर्म No.26 में दी गई घोषणा का उल्लंघन किया था और साथ ही छूट का लाभ उठाते समय पूरा करने के लिए आवश्यक पात्रता मानदंडों/शर्तों का पालन नहीं किया था और/या उन्हें पूरा नहीं किया था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रत्यर्थी ने वास्तव में अपने द्वारा खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग नहीं किया और छूट का लाभ उठाया और छूट का लाभ उठाने के बाद उक्त कच्चे माल को 'अयोग्य' इकाई को बेच दिया-ई. पी. एल. और ई. पी. एल. ने उसी का उपयोग अपने सामान के निर्माण के लिए किया-बिजली का उत्पादन, जो बाद में फिर से बिक्री के भुगतान पर ई. एस. एल.-योग्य इकाई को बेच दिया गया।

20. दोहराव की कीमत पर, यह देखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन नीति के अनुसार, बिजली उत्पादन कंपनी इसे 'अयोग्य उद्योगों' की सूची में रखा गया था और इस प्रकार, स्वतंत्र रूप से मूल प्रविष्टि No.255 (2) के तहत छूट का हकदार नहीं था। इस प्रकार, पात्र इकाई से दूसरी इकाई को इस तरह के हस्तांतरण/बिक्री से छूट का लाभ 'अयोग्य' उद्योग द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है और जिसे पात्र इकाई का इरादा नहीं कहा जा सकता है।

सरकार खरीद कर के भुगतान से छूट के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करती है। छूट का ऐसा लाभ उपलब्ध था

केवल पात्र इकाइयों/उद्योगों और इस्पात उद्योग के लिए जिनके पात्र उद्योगों में से एक एस्सार स्टील लिमिटेड से संबंधित है। इसलिए, प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं था। 20.1 अन्यथा भी यहाँ ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वचन-निरसन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ई. एस. एल. ने गलत और झूठी घोषणाएं की थीं। मूल अधिसूचना/प्रविष्टि में, यह प्रावधान नहीं किया गया था कि भले ही इस तरह से खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग छूट का लाभ उठाने के बाद स्वयं नहीं किया जाता है, उसे किसी अन्य इकाई को बेचा जा सकता है, जो 'अयोग्य' उद्योग है। इसने यह प्रावधान नहीं किया कि ऐसी स्थिति में भी और इस तथ्य के बावजूद कि कच्चा माल वास्तव में योग्य इकाई द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, जिसका उपयोग फॉर्म No.26 में घोषणा के अनुसार भी किया जाना आवश्यक था, ऐसी पात्र इकाई छूट की हकदार होगी। ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। शब्दावलियाँ

और छूट अधिसूचनाओं में उपयोग की जाने वाली भाषा बहुत स्पष्ट, सरल [2022] 12 एस. सी. आर. है।

और असंदिग्ध। इसलिए, जब ऐसा कोई वादा और/या प्रतिनिधित्व नहीं था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि मांग को न्यायाधिकरण के साथ-साथ न्यायाधिकरण द्वारा देखे गए और अभिनिर्धारित वचन निरसन के सिद्धांत से प्रभावित किया गया है।

विवादित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय।

20.2 प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत एक न्यायसंगत उपाय है और इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ढाला जाना चाहिए न कि

कबूतरों के गड्ढों में बंधी हुई। दूसरे शब्दों में, वचन बहिष्कार के सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है, लेकिन सिद्धांत को विकसित और विस्तारित करना होगा ताकि पक्षों के बीच न्याय किया जा सके और पक्षों के बीच समानता सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान मामले में, प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

20.3 कराधान के मामलों में, प्रतिभूति रोक का सिद्धांत लागू नहीं होता है और राजस्व अलग स्थिति ले सकता है।

स्थापित विशिष्ट विशेषताओं वाले मामले में इसके पहले के रुख से। [केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बैंगलोर-1 बनाम बाल देखें।

20.4 वचन रद्द करने और रद्द करने के नियम विशिष्ट शर्तों को बदलने या संशोधित करने के लिए लागू नहीं किए जा सकते हैं। वैधानिक प्रावधान। में निहित सभी नियम और शर्तें

छूट अधिसूचना प्रबल होगी और छूट का दावा करने वाले व्यक्ति को छूट अधिसूचना में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों/शर्तों को पूरा करना होगा।

21. अब, जहाँ तक प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि 14.11.2000 से पहले, खरीद कर की कोई मांग नहीं थी और/या खरीद कर के भुगतान से छूट उपलब्ध कराई गई थी

21.1 कानून की योजना किसी भी तरह से यह संकेत नहीं देती है कि प्रदान किए गए प्रोत्साहन को लगातार वर्षों तक जारी रखना होगा। पात्रता शर्तों को पूरा करने के बावजूद। प्रोत्साहन की प्रयोज्यता सीधे तौर पर पात्रता से संबंधित है न कि उसे कम करने से। यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक उपक्रम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो वह प्रोत्साहन/छूट का दावा नहीं कर सकता है।

22. इसलिए, प्रत्यर्थी निर्धारिती की ओर से यह निवेदन कि पहले के मूल्यांकन वर्षों की तरह ही गुजरात राज्य से छूट का लाभ v.

प्रत्यर्थी को दिया गया था और इसलिए, बाद में निर्धारण वर्ष भी, इस तथ्य के बावजूद कि यह पाया गया है कि प्रत्यर्थी मूल के तहत छूट के लाभ के लिए पात्र था/नहीं है

अधिसूचना/प्रविष्टि No.255 (2) स्वीकार नहीं की जा सकती है। यदि उस मामले में इस तरह की प्रस्तुति को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह अवैधता को कायम रखेगा और 'अयोग्य उद्योग' को छूट का लाभ देगा, जिन्होंने छूट अधिसूचना में उल्लिखित पात्रता मानदंडों/शर्तों को पूरा नहीं किया और/या उनका पालन नहीं किया। वचन निरसन का सिद्धांत संविधि के विपरीत लागू नहीं होगा। केवल इसलिए कि गलत तरीके से और/या

गलत व्याख्या, पहले के मूल्यांकन वर्षों में कुछ लाभ गलत तरीके से दिए गए थे, गलत को जारी रखने और छूट का लाभ देने का आधार नहीं हो सकता है, हालांकि छूट के तहत पात्र नहीं है।

अधिसूचना। 23. अब, जहाँ तक जुर्माना लगाने का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जुर्माना धारा 45 के तहत लगाया जा सकता है और ऐसा जुर्माना अधिनियम, 1969 की धारा 45 की उप-धारा (5) और (6) के तहत लगाया जा सकता है और निर्धारित खरीद कर पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान है कि यदि

देय कर और देय/निर्धारित कर का अंतर बीस से अधिक है।

पाँच प्रतिशत, उस मामले में, व्यापारी को इस प्रकार निर्धारित/पुनर्निर्धारित राशि और भुगतान की गई राशि के बीच के अंतर की सीमा तक कर का भुगतान करने में विफल माना जाएगा और उस मामले में, ऐसे व्यापारी पर एक जुर्माना लगाया जाएगा जो उप-धारा (5) के अनुसार अंतर का डेढ़ गुना नहीं बढ़ेगा। इसलिए, पँचिश प्रतिशत से अधिक का अंतर होने पर, उपरोक्त सीमा तक जुर्माना लगाया जाएगा। यह छूट के झूठे और गलत दावे का स्पष्ट मामला है।

चूंकि छूट प्राप्त वस्तुओं को किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया था और 'अयोग्य' उद्योग में उपयोग किया गया था। यह जानबूझकर उल्लंघन और बुराई करने का मामला है।

23.1 वर्तमान मामले में, चूंकि भुगतान किए गए कुल कर और खरीद कर के बीच का अंतर पच्चीस प्रतिशत से अधिक है, इसलिए माना जाता है कि प्रतिवादी धारा 45 की उप-धारा (5) के अनुसार कर का भुगतान करने में विफल रहा है और इसलिए, डेढ़ गुना से अधिक दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। धारा 45 की उप-धारा (6) में उपयोग किए गए शब्द हैं "ऐसे विक्रेता पर अंतर के डेढ़ गुना से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा"। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले में कार्यप्रणाली

जिसे प्रतिवादी द्वारा अपनाया गया था-एस्सार स्टील एक दंड का वारंट देता है। हालाँकि, कच्चे माल का उपयोग स्वयं करने की आवश्यकता थी

अपने माल का निर्माण, योग्य इकाई के रूप में छूट का लाभ उठाने के बाद और खुद के लिए इसका उपयोग करने के बजाय, ईएसएल ने कच्चे [2022] 12 एस. सी. आर. को बेच दिया।

23.2 जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रोत्साहन योजना के तहत ई. पी. एल. खरीद कर के भुगतान से छूट के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं था क्योंकि वास्तव में बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को 'अयोग्य उद्योगों' की सूची में रखा गया था। इसलिए, इस तरह की कार्यप्रणाली से, लाभ, जो ई. पी. एल. को उपलब्ध नहीं था, इस तरह के हस्तांतरण द्वारा उपलब्ध कराया गया था। एस्सार स्टील लिमिटेड द्वारा एस्सार पावर लिमिटेड को कच्चा माल। जैसा कि ऊपर देखा गया है, फॉर्म No.26 में भी घोषणा का उल्लंघन है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जुर्माना लगाना उचित और आवश्यक है। संयुक्त आयुक्त, न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने रद्द करने में गंभीर त्रुटि की है और

निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने को अलग करना। 24. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश

साथ ही प्रत्यर्थी से खरीद कर की मांग को रद्द करने और अलग करने वाले न्यायाधिकरण को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी-एस्सार स्टील लिमिटेड-पात्र इकाई मूल प्रविष्टि No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 के तहत खरीद कर के भुगतान से छूट का हकदार नहीं था, सबसे पहले, इस आधार पर कि वह मूल प्रविष्टि में उल्लिखित पात्रता मानदंड/शर्तों को पूरा नहीं करता था।

No.255 (2) दिनांक 05.03.1992 और दूसरा कि प्रतिवादी-योग्य इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र No.26 में घोषणा का उल्लंघन किया गया था। एस्सार स्टील लिमिटेड निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने को दरकिनार करने वाले आदेशों को भी निरस्त कर दिया जाता है। क्रय कर की मांग को लागू करने और जुर्माना लगाने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुनर्स्थापित किया जाता है।

25. तदनुसार वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन (सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)